1963-64

Mr. Speaker: We will take up the clauses. The question is:

"That clauses 1, 2, 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1, 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Shri T. T. Krishnamachari: I move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

DEMANDS† FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1963-64

Mr. Speaker: The House will now take up discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1963-64.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): Mr. Speaker, in moving that the Supplementary Demands for Grants be taken into consideration, I may briefly refer to what is more fully explained in the first three pages of the book of Supplementary Demands for Grants for Railways 1963-64.

At the very outset, it should be remembered that the Supplementary Demands aggregate to Rs. 55 crores in relation to a total original budget grant of about Rs. 1,180 crores. Rs.6:75 crores out of the Supplementary Demands over increased net surplus over the budgeted surplus, which is really not additional expenditure as such but for which a vote is necessary as it is an amount being appropriated to the Development Fund Even the balance of the Sup-

plementary Demands, aggregating to Rs. 48:25 crores, represent a gross amount which is what is taken for the purpose of securing the vote of the Parliament, even though the net expenditure after allowing for credits, is only Rs. 38:68 crores. The gross budget, for instance, covers freight on railway coal and other materials, which is balanced by credits under different Demands.

An analysis of the Supplementary Demands for Grants is as under:—

- (i) Aggregate of Revenue Working Expenses (Supplementary Demands Nos. 4 to 10)—net additional provision asked for is Rs. 11.97 crores, against the gross amount of Supplementary Demand of Rs. 15.92 crores.
- (ii) Aggregate of the Capital Budget (covering works under Supplementary Demands Nos. 15 and 16—net additional provision of Rs. 24.79 crores, against the grossbudget of Rs. 30:36 crores.
- (iii) Increased dividend payment to General Revenues (Supplementary Demand No. 12)— 1.92 crores (This is consequential to the revised anticipation of "works outlay" exceeding the original grant).

It may be explained that Rs. 5:56 crores, out of the additional provision asked for under Revenue Expenses, pertain to various items of staff expenditure, including Rs. 3:50 crores, which covers the increased dearness allowance payable from 1st July 1963 to lower graded staff and the increase in city compensatory and house rent allowances payable from 1st January 1964 as a result of revised classification of certain cities and towns—these being post-Dudget developments A substitutial portion of the remaining additional provision

asked for under Revenue Working Expenses, is to cover the post-Budget developments by way of general taxation changes, including increase in the rate of Central Sales Tax, which were introduced after the Railway Budget for 1963-64 had been presented. These changes include increases in the prices of controlled materials like coal and steel beyond what had been envisaged in the Budget; these and other materials are utilised in the course of the railways' operation and maintenance.

13.37 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Likewise, the cost of the development programme of the railways, covering the works outlay, is affected by increase in customs duty on a variety of imported railway equipments, increase in the Central Sales Tax and increase in the price of steel and steel equipment, etc. In the statement on the economic situation made by the Finance Minister in Parliament on 16th December 1963 the effect on the Railways' expenditure on account of taxation changes was specifically alluded to.

With these brief introductory remarks, Sir, I commend the Supplementary Demands for Grants to the House.

DEMAND No. 4—Working Expenses— Administration

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,83,64,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of Working Expenses—Administration."

DEMAND No. 5—Working Expenses— REPAIRS AND MAINTENANCE

1963-64

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,78,54,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Working Expenses—Repairs and Maintenance.'"

DEMAND No. 6—Working Expenses— Operating Staff

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,33,33,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of Working Expenses—Operating Staff."

DEMAND No. 7—Working Expenses— Operation (Fuel)

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,64,58,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of Working Expenses—Operation (Fuel)."

DEMAND NO. 8—WORKING EXPENSES— OPERATION OTHER THAN STAFF AND FUEL

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 45,73,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of "Working Expenses—Operation other than staff and fuel'."

1963-64

4724

DEMAND No. 9—Working Expenses— MISCELLANEOUS EXPENSES

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,48,55,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of Working Expenses."

DEMAND No. 10—Working Expenses— Labour Welfare

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 41,45,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of Working Expenses—Labour Welfare'."

DEMAND No. 12—PAYMENTS TO GENERAL REVENUES

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,91,79,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Payments to General Revenues'."

DEMAND No. 15—OPEN LINE WORKS— ADDITIONS AND REPLACEMENTS

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 26,58,71,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Open Line Works—Additions and Replacements'."

DEMAND No. 16—OPEN LINE WORKS— DEVELOPMENT FUND

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,76,82,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of Open Line Works—Development Fund'."

DEMAND No. 18—Appropriation to Development Fund

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,75,00,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Appropriation to Development Fund'."

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): Mr. Deputy-Speaker, in presenting the Supplementary Demands for Grants, part of the amount is sought to be allocated for paying the employees following the reclassification of some of the cities in our country. We all know that the Central Government employees were making a request and demand to the Government for re-classification of cities on the basis of not only one factor but various factors. I am glad that reclassification of cities has been made. I am also glad that the railway employees will gain out of this re-classification in many of the cities of our country. But I should like to bring to the notice of Government the difficulties and hardships faced by quite a number of employees, for example, the railway employees, in some of our cities, who have not got a fair deal even after the recent reclassification. The hon. Minister knows that the railway employees together with the Central Government employees had agitated for a proper reclassification and for payment of

house rent allowance and city compensatory allowance on the basis of a proper reclassification, not only during the last few years but, I think, for the last seventeen years since the attainment of freedom. Even the First Pay Commission was approached, unfortunately, in their recommendations they said that the classification of cities should be on the basis of population alone. But we all know that at the time the Second Pay Commission was getting evidence from the employees' organisations, the Central Government employees and also the railway employees presented them their cases, and fortunately for the employees, the Second Pay Commission was good enough and fair and just enough to say that the classification of cities should be not only on the basis of population but on the basis of other factors, mainly the cost of living. I am drawing the attention of Government to this because recently the railway employees in one particular place in my State, for example, Cochin, together with other Central Government employees had a meeting and they wanted to represent to Government that even after the present reclassification those employees practically were getting no benefit, Even after the present reclassification, the Cochin city remains a C class city. An employee getting a salary of up to Rs. 150 is given a house rent allowance of Rs. 7.50. Our Finance Minister himself in October last. addressing a press conference in Madras admitted that in the reclassification of cities, perhaps, we ought to have taken into consideration factors other than that of population, and he said that Government would try to revise the present basis for classification of cities.

It should be understood that Cochin is one of the places where the cost of living is the highest in the whole of India, and it being an industrial capital and also an expanding industrial area, the problem of housing is, I think, the most acute in that area. You will be surprised to know that

in the Cochin area, the density of population is something like 30,000 per square mile. I do not think that there will be any other place in our country where the density of population would be so high as 30,000 per square mile.

1963-64

I can also point out the figures showing the cost of living in Madras and Cochin. In Madras, the index was 488, 491, 492 and 495 respectively in August, September, October November, 1963 respectively, while the figures in Cochin during the corresponding months were 528, 532, 534 and 539 respectively. As you know, after the reclassification, the railway employees in the Madras city are getting much more benefit. A B class city has become an A class city, and we are all very glad that this has been done and the employees are getting that benefit. But is it not unjust that in another place not far away from Madras where the cost of living is at least 25 per cent more than in Madras, the employees are not given a fair You would be able to appredeal? ciate the heart-burning on the part of some of the employees who are doing the very same work there. I have got a lot of material with me to establish the genuineness of the case of the Central Government employees including the railway employees in Cochin, but I think that the whole case has to be presented not before the Ministry because it has to be mainly tackled by the Finance Ministry, but I wanted to make use of this opportunity to place the case before the Railway Ministry so that as an influential Ministry in the whole Government set-up, the Railway Ministry could take it up with the Finance Ministry.

Mr. Deputy-Speaker: That is wholly irrelvant. We are not concerned with the classification of Cochin city in the railway budget.

Shri Vasudevan Nair: I am pointing out that in regard to the payment of enhanced rates of house rent and compensatory allowances to the railway employees, actually a fair deal is not being given to all the employees.

1963-64

4728

Mr. Deputy-Speaker: To Demand is the hon. Member referring?

Shri Vasudevan Nair: For instance, there is Demand No. 5.

Mr. Deputy-Speaker: That relates to working expenses.

Shri Vasudevan Nair: That is partly going to be spent on this account; about Rs. 7.93 lakhs are going to be spent on giving enhanced rates of house rent and compensatory alloweffective from 1st January, ances, 1964, to railway employees.

Deputy-Speaker: That is too far-fetched.

Shri Vasudevan Nair: So, I would like the Railway Ministry to take it up with the Finance Ministry so that all the railway employees in the major cities of our country who are really finding it difficult to make both ends meet are given a fairer deal.

I would like to make out just one more point, and that is regarding the failure of Government in not accepting the spirit of the recent Supreme Court judgment regarding the reemployment of all those employees who were at one time or the other sent out of service under rule 148. I am told that two or three employees have been taken back in service, and in all these Demands, funds have been asked for for payment of compensation to such employees as a result of the decrees of courts. But, even today, more than 300 such employees are still out of service. We were told by the hon. Minister during the discussion on the railway budget that their cases had been referred to the Law Ministry. I do not know why even now the Railway Ministry wants to dilate over it and tries to evade the issue by spending such a long time. I would request them to straightway take a decision on this matter and to re-employ all those who were thrown out of employment during the last thirteen or fourteen years and to pay the compensation which is due to them.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन श्रनुदानों का विरोध करता हं श्रीर करता रहंगा जब तक कि हिन्द्स्तान की रेलगाडियों में तीसरे दर्जे के ग्रालावा बाकी सब दर्जे खत्म नहीं कर दिये जाते । इस सम्बन्ध में रेल मंत्री ने फरमाया कि रूस में चार दर्जे हैं। एसी कोई भी मिसाल यहां देना उचित नहीं होता लेकिन ग्रगर मिसास उन को देनी ही है तो इंग्लिस्तान की दें जहां पर सिर्फ दो दर्जे हैं, एक ग्रौर तीन ग्रौर बहुत सी गाड़ियां हैं जिन में सिर्फ तीसरा दर्जा रहता है। पहले भौर तीसरे दर्जे में सिर्फ यह फर्क है कि तीसरा दर्जा नकली मखमल का होता है ग्रीर पहला दर्जा चमडे का होता है, भीर किराये में सिर्फ डेढ़ गुने का फर्क होता है। लेकिन इन विदेशी उदाहरणों को छोड़ कर हमें खुद ग्रपने देश की वर्तमान हालत को सोचना चाहिये कि क्या हम तीसरे दर्जे के ग्रलावा बाक़ी दर्जों को खत्म कर सकते हैं। ग्रीर मैं समझता हं कि खत्म करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सामान्य चर्चा नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह अनुदान

उपाध्यक्ष महोदय : जो डिमांडम सदन के सामने रखी गई हैं उन के बारे में माननीय सदस्य कहें।

एक माननीय सदस्य : यह प्रशासनिक खर्च है।

डा॰ राम मनोहर लोहिया : यह खर्च है प्रशासन का जिस के सम्बन्ध में ग्रनदान है इसलिये मैं उन सब बातों पर बोल सकता हं क्योंकि उन का ग्रसर पड़ता है रेल गाड़ियों पर, रेलगाडियों के प्रशासन पर । यह विभाग पहले, दूसरे, तीसरे सभी दर्जी का प्रशासन करता है। इसलिये प्रशासन के लिये ही हमें पैसा नहीं देना चाहिये जब तक कि तीसरे दर्जे के ग्रलावा सब दर्जे खत्म नहीं कर दिये जाते। यह तीसरा दर्जा जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिये। मैं तो चाहूंगा कि हमारा ध्यान हिन्दुस्तान के इस बुनियादी रोग की तरफ जाये क्योंकि कई दफे मेरी तबिग्रत होती है कि बड़ी बातों की तरफ जाऊं। लेकिन हमेशा छोटी बातों में हम लोग उलझ जाया करते हैं।

त्राज हमारा जीवन इतना टूट चुका है कि दुनिया का कोई देश उतना टूटा हुग्रा नहीं है। एक तरफ ग्रामदनी ग्रीर खर्च के हिसाब से हजारों सीढ़ियां हमारे यहां हैं। उतनी संसार के किसी देश में न तो थीं श्रीर न ग्राज हैं। यह देश पैसे के हिसाब से बहुत ट्टा हुम्रा है। दूसरी तरफ मन के हिसाब से भी उतना ही टूटा हुआ है। मैं आपका ध्यान खींचं पिछले हजार पन्द्रह सी वर्षों की तरफ । रामानुज से लेकर दयानन्द तक जितने भी लोग हए, वसवन्ना हए, महाबीर हए, गृह नानक हुए, कबीर हुए, सब ने इस देश की जोड़ना चाहा, सब ने इस देश से जातिपाति को खत्म करना चाहा, लेकिन भ्रन्त में वे एक एक सम्प्रदाय को छोड़ते चले गये। इन सब का कोई इलाज हमें निकालना है। ग्रर्थ के हिसाब से, मन के हिसाब से, हमारा देश टूटा हुआ है, गरीबी और भ्रमीरी में इतना फर्क है, ऊंची ग्रीर छोटी जाति का इतना फर्क है कि ग्रब हम को बुनियादी तौर पर कोई न कोई रास्ता निकालना पडेगा । श्रीर इसीलिये मैंने कहा कि हिन्दुस्तान की रेलगाड़ियों में तीसरे दर्जे के ग्रलावा सभी दर्जी को खत्म करो ताकि इस टूटे हुए देश में, गरीबी स्रौर स्रमीरी के इतने बड़े फर्क के देश में, कहीं कोई इलाज तो ग्रासके।

इस बात को उठाते हुए मैं भ्राप का ध्यान इस तरफ भी ले जाना चाहता हूं कि भ्राज जितने भी हमारे यहां इन्तजाम हैं, 2394 (Ai) LSD—6.

रेलगाड़ियों के सारे प्रशासन को ले लीजिये, उस में जो भ्रामदनी का फर्क है, खर्च का फर्क है, महंगाई भक्ता वर्गैरह का जो फर्क थ्रा जाया करता है, क्योंकि म्राखिर जितने भी मनुदान होंगे वे पूरानी शैली पर ही तो चलेंगे, वह बजाय इसके कि देश को जोड़ें, देश को तोड़ते चले जा रहे हैं, ग्रथं ग्रौर जाति के हिसाब से। तो अर्थ और जाति के इस फर्क को मिटाने के लिये जरूरी हो गया है कि हम कोईग रम कदम उठायें। यहां कोई छोटी मोटी चीजों से काम चलने वाला नहीं है। इसलिये मैं ने यह प्रस्ताव रखा था। स्राज इस प्रकार विदेशीं के उदाहरण दे देना मतलब नहीं रखता क्योंकि दुनिया का कोई देश इतना टूटा हुम्रा नहीं है जितना कि हिन्दुस्तान ट्टा हुआ है। अगर इन सब की कड़ी आप बनायेंगे तो देखेंने हर एक दिशा में ऐसा ही है।

इस के साथ मैं कह देना चाहता हूं कि पांच वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक के जितने बच्चे हैं, चाहे राष्ट्रपित का बच्चा हो चाहे भंगी का बच्चा हो, सब को एक ढंग के स्कूल में जाना चाहिये। ग्रगर हम इस तरह के कुछ कदम उठायेंगे तब हम ग्रपने देश को बना पायेंगे ग्रीर इसी पृष्ठभूमि में मैं ने ग्राप के सामने हिन्दुस्तान का इतिहास रखा है हबार पन्द्रह सौ वर्षों का। ग्रीर इसी पृष्ठभूमि में ग्राप को भी देखना चाहिये मेरे मुझाव को।

मैं बहुत जोर से कहना चाहता हूं कि मेरे इस सुझाव को माननीय सदस्यों ही न टाल दें और न रेल मंत्री इस को टाल दें। उन को मेरे इस सुझाव पर बहुत गौर से सोच विचार करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वे हमेशा के लिये ऐसा करें। हां सकता है कि दस, पन्द्रह्या बीस वर्ष के बाद हिन्दुस्तान की माली हालत इतनी सुधर जाये कि गरीव ब्रादमी के पेट में श्रन्न जाने लगे और उसका स्वाभिमान भी जगजाय और रेलगाड़ियों के नौकर लोग, जेसे कि समझ लीजिये की सफैये हैं, जैसे गाई हैं, कंडक्टर हैं, वे लोग ब्रादमियों के कपड़े

MARCH 10, 1964

[डा॰ राम मनोहर लोहिया]

भीर चेहरे को देख कर नहीं बल्कि इन्सान को देख कर खिदमत किया करें। जब ऐसी सूरत हो जाये पन्द्रह, बीस, तीस वर्षी बाद तब भगर भ्राप भीर दर्जे ले भ्राना चाहें तो ले श्रायें । इस सम्बन्ध में यह तर्क देना कि हमें विदेशी यात्रियों के लिये सुविधायें करनी हैं. इसलिये हम एग्रर कंडिशन करते हैं या पहले दर्जे लगाते हैं, ठीक नहीं है। इसके लिये मैं साफ जवाब दिये देता हूं कि विदेशी यात्रियों के लिये ग्रलग से दर्जे बना दिये जायें। चंकि उन से ग्राप को फारेन एक्स्चेन्ज उपार्जन करना है इसलिये श्रलग इन्बे लगा दिये जायें नेकिन नियम हो जाना चाहिये कि कोई भी **देशी ग्रा**दमी, हिन्दुस्तानी उन ऊंचे दर्जी में चल नहीं पायेगा । इस से मन के अन्दर और समाज के ग्रन्दर एक जबर्दस्त मनोवत्ति पैदा होगी। ब्राज तो कुछ ऐसी मनीवत्ति हो गई है कि पचास लाख बडे लोगों के ग्रलावा किसी को इस देश में सुविधायें मिल ही नहीं पाती हैं। रेलवे का इतना बड़ा महकमा है, इस में **१२ या १४** लाख ग्रादमी काम करते हैं यह सब किस के लिये हैं। ४४ करोड़ **भादि**मयों के लिये हैं। लेकिन मैं बड़े जंर से **कहना** चाहता हूं कि यह १२ या१४ लाख भादमी ४४ करोड लोगों की सेवान कर के जो बड़े लोग हैं उन्हीं की सेवा तक सीमित रह जाते हैं। यह चीज कब बदलेगी, कहां बदलेगी, कैसे बदलेगी । मैं ने मिसाल दी, जैसे हम लोग हैं, मैं खद ग्रपने ग्रनभव से प्राप को बतलाता हं कि रेलगाड़ियों में जितने नौकर होते हैं, गार्ड, कंडक्टर, सफैये, वे ध्यान देते हैं सिर्फ एम्रर कंडिशन या पहले दर्जे के यावियों की तरफ, श्रीर उन में भी जो मेरे जैसे नोग हैं. उन के लिये समझते हैं कि यह लोक सभा के सदस्य हैं, कहीं जा कर इन बातों की चर्चा न कर दें, इसलिये उनकी तरफ ध्यान देते हैं। साधारण जनता के डब्बों की सफाई नहीं होती। यह चीज श्राखिर कैसे बदलेगी । भाषणों से वो नहीं बदलेगी न घौर किसी तरीके से बदलेगी धीर न कोई इधर उधर छोटे मोटे

दर्जों के यानियों को सुविधा देने से बदल जायेगी । यह तो तभी बदलेगी जब तीसरे दर्जे के प्रलावा बाकी सब दर्जे खत्म कर दिये जायें जिसमें भ्रगले दस, पन्द्रह, बीस वर्ष तक के लिये बड़े ग्रीर छोटे सभी लोगों को एक ही ढंग से चलना पड़े।

इस सम्बन्ध में यदि रेलव मंत्री तीसरे दर्जे में चलना शुरू कर दें, या उपाध्यक्ष महोदय, भ्राप चलना शुरू कर दें, या जो कुछ बड़े लोग हैं, बड़ साधु सन्त हैं, बड़े महात्मा हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उस को ले कर मेरे जैसे म्रादमी खुश हो जाया करते हैं, कबीर की सुक्तियों को ले कर खश हो जाया करते हैं, वे चलना शुरू कर दें तो उस से नतीजा क्या निकलेगा। कबीर निकले थे समाज को जोडने, हजारों सम्प्रदायों को एक करने, लेकिन ग्रन्त में परिणाम यह हुन्ना कि हजारों सम्प्रदायों की जगह कबीरपन्थी भ्रपना एक सम्प्रदाय भ्रीर जोड़ते चले गये। इसलिये मैं कहता हं जाति की अंच नीच को खत्म करने के लिये, श्रर्थ ग्रीर पैसे के. खर्च की ऊंच नीच खत्म करने के लिये या कम करने के लिये। एक बात मैं जोड़ दं। मैं कम करने के लिये कहता हं। खत्म करने के लिये मैं भ्रव भी इतने जोर से नहीं कहता हं। ऐसा हो जाये जैसा कि रूस में है, जैसा कि इंग्लैंड में है कि सीमा के भ्रन्दर गैर-बराबरी ग्रा जाये। इसलिये मैं कहता हुं कि कुछ ध्रमें के लिये तीसरे दर्जे के धलावा सब दर्जे खत्म कर दिये जायें।

भी हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट के सम्बन्ध में बहुत सी बातें बहस के समय में बोली गई हैं। मैं कुछ बातों के सम्बन्ध में श्रपने इलाके के बारे में बोलना चाहता हं। गत वर्ष संथाल परगना का जो बहुत बड़ा एरिया है उस इलाके के बारे में कहा गया था। वह ऐसी जगह है जहां पर यातायात की सुविधा नहीं है भौर जोगों को काफी तकलीफ होती है। खास कर

गोड्डा सब डिवीजन ऐसी जगह है जहां पर कि कोयला की खानें भी हैं ग्रौर गल्ला भी पैदा होता है। लेकिन लोगों को यातायात की मुविधा नहीं है। पहले एक दफे ऐसी बात हुई थी कि पीर पैती से एक रेलवे लाइन सन्थाल परगने के एक हिस्से तक जाये, लेकिन पांच, छः या घाठ वर्ष हो गये हैं, इस बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। गत वर्ष भी मैं ने सदन में कहा था कि कम से कम एक काम किया जाये कि गोडडा में एक ग्राउट एजेंसी कायम कर दें जिससे कि माल श्राने जाने में मुभीता हो जाये श्रीर लोगों को माल श्रासानी से मिल सके। रेलवे मंत्री ने कहा था कि प्राप किसी मुज्जन का नाम दें जो कि इस काम को करने के लिए तैयार हो। मैं ने उस प्रादमी का नाम भी भेज दिया या जो कि इस काम को करने के लिए तैयार है।

14 hrs.

एक माननीय सदस्य : उसका नाम क्या है ?

भी हिम्मतसिंहका : उनका नाम सत्यनारायण है ग्रौर वह गोड्डा के रहने वाले हैं।

इस भ्राउट एजेंसी के कायम करने से रेलवे को कोई नुकसान नहीं होगा पर लोगों को इससे बड़ा फायदा हो जायेगा। मेरा उन से सुझाव है कि इस तरफ खास तौर से ध्यान दिया जाये।

एक ग्रौर बात मैं ने पहले भी कही थी ग्रौर ग्राज भी कहता हूं। बड़े ग्रफसोस की बात है कि बड़े बड़े स्टशनों तक पर मैं ने देखा है कि पानी की कलें हर दम खली रहती हैं ग्रौर पानी यहता रहता है। उनकी तरफ कोई ग्रफसर घ्यान नहीं देता। मैं ने यह पटना में देखा, दिल्ली में भी देखा, ग्रौर करीब-करीब हर स्टेशन पर यही दशा है। इस तरफ घ्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरक्त मैंने देखा है कि सफाई की बड़ी अवहेलना है। प्लेटफाम तो पहले से ज्यादा साफ रहते हैं, लेकिन शौचालयों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। स्टेशन के कुली आदि ही उनको गन्दा करते हैं। अफसर लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। यह ठीक है कि पहले से उन्नति है लेकिन इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।

1963-64

मैं समझता हूं कि रेलवे में टिकटलैस ट्रेंबिल काफी बढ़ रहा है। मैं पहले देखता था कि समय-समय पर चैंकिंग हुआ करती थी, लेकिन श्रव मैं देखता हूं कि कोई टिकट देखने बाला ही नहीं है।

Mr. Deputy-Speaker: Ticketless travel has nothing to do with the Supplementary Demands for Grants.

Shri Himatsingka: That means loss of money.

Mr. Deputy-Speaker: It is not a general discussion on the Railway Budget. This is not relevant.

Shri Himatsingka: I am suggesting that the officers do not check ticket-less passengers and, therefore, there is loss of money. Action should be taken in that direction also. Thank you.

Shri A. P. Sharma (Buxar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while speaking on the Railway General Budget in this House, I congratulated the Railway Ministry for presenting a surplus budget and I again like to congratulate the Ministry for the same. On these Supplementary Demands for Grants, I want to make out a few points particularly in connection with two or three items that have been mentioned as main reasons for incurring some of the expenses. If one looks to the Supplementary Demands, in every Demand that has been put up, there is one headline "Charged Expenses" and the reason shown is that charged expenditure represents payments arisMARCH 10, 1964

[Shri A. P. Sharma]

ing from court decrees or awards by arbitrators. This is the reason given

The other day, while speaking in this House on the Excess Demands for Grants of the Railway Ministry, I pointed out that there are two departments in the Railway Ministry, One is the Accounts Department and the other is the Law Department. I do not know how efficiently they are functioning. Lot of expenses are incurred by the Railway Ministry on these two Departments. I also pointed out that as regards one of these two Departments, that is, the Accounts Department on account of a large number of higher grade posts and the chances of promotions for the officers being more than in other departments of the Railway Ministry, the other departments have become envious of this department. This department is mainly responsible to see that there should not be any acts of commission or omission on account of which the Railway Ministry should make such payments as mentioned under the head "Charged". The Law Department is also equally responsible to see that before such occasions for payments arise, no mistake is allowed to be committeed. I would request the hon. Deputy Minister for Railways and the Ministry of Railways to examine and see as to who are the people responsible for such payments. One thing is particularly very interesting to know, which I would like to point out that in cases of most of these awards the arbitrators are the Railway officials. I do not know what will happen if outside arbitrators are appointed to decide such cases. I am sure that outside arbitrators will definitely make the Railway pay what they are more than Why I am saying this is because of my own experience I find that the number of cases that go against the Railway in various courts in the country are large. The Railways lose a large number of such cases and there are very few cases where the Railways win. Therefore, I say, if arbitrators are outside persons the Railways will have to make more payment.

The second point that I would like to make out in this connection is this. One of the items mentioned is the expenses incurred on account of payment of more dearness allowance and compensatory house rent allowance to the Railway employees. I would like to draw the attention of the Railway Ministry to one of the most important recommendations of the Pay Commission where they have recommended that besides the cities where on the population basis the compensatory house rent allowances are paid, there may be concentration only of the Railemployees. wav In places, like, Mughalsarai and so many other places which may not be very big cities but on account of the concentration Railway employees the cost of living index is very high. It is also very difficult to get housing accommodation so much so that the Railway employees are housed in a very small number and it is not possible for them, even on higher payment, to acquire housing accommodation. Therefore, the Pay Commission has recommended that in such cases also the Railway Ministry should find out ways and means as to how to compensate the Railway employees in this regard.

I would like to make only one more point and that is regarding the welfare measures which is also one of the items for the Supplementary Demands for Grants. Regarding the welfare measures, I would like to touch only two departments. One is the medical department about which also the expenditure demanded had mentioned here, the reason shown is "including cost of the related hospital and other staff". In this connection, I would like to point out that recently in the Railway hospitals they have given up the old system of distributing the medicines. Now the prescriptions are collected from the employees. Whatevr prescriptions are given to the employees, after serving the medicines, are collected and they are not handed over to the employees back. The result is that the next day if the particular railway employee wants to consult any other doctor, he has got nothing in his possession to show what medicines were prescribed, whether they were right or wrong, and whether something more is required.

I think the demands include the cost of the hospital and other staff, that means the staff connected with the railway hospital, the dispensers, compounders etc. I would like to point out in this connection that in some of the divisional medical hospitals the railways, the dispensers are used as medicine issuers only for issuing medicines from the stores of the railway medical department, although they are fully qualified dispensers who could be hardly used for that purpose. Perhaps the reason assigned by the railways for this is that the people who issue medicines from the stores are also required to have some knowledge of the medicines supplied in these hospitals.

The problem of the education of the children of railway employees also comes under the head of labour welfare. I have gone through the reply of the hon. Railway Minister in this House and the other House regarding arrangements made by the railways for the education of the children of railway employees. I myself touched this point while speaking on the Railway Budget. The time has come when the whole educational policy of the Railway Ministry should be reviewed, and it should be changed, because for 12 lakhs of permanent railway employees and about four lakhs of temporary and labourers, making a total of about 16 lakhs of railway workers in this country, there are very few schools run by the railway administration, and they are mostly primary schools. Is it intended that the children of the railway employees should have education only up to the primary standard, and that they should not go in for higher studies? If that is not the

intention, it is absolutely necessary that the railways should start a chain of schools of their own, because nowadays because of the frequent transfer of the railway employees from one station to another, it is very difficult for them to get admission of their children in schools. The railway administration should, therefore, not only be content with running primary schools, which are very few in number. The railway have got more than 5,000 stations in the country, and the number of schools is hardly 600 or 700, I do not remember the exact number. Therefore, it is absolutely necessary that at every station, in each colony of railwaymen, there should be primary schools; and the railways should have higher secondary schools colleges of their own education of the children of the railway employees, if they want that their employees should be contented and that one of their most important problems in life should be solved.

1963-64

श्री यशपाल सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त रेलवे के जो कमंचारी हैं उन में क्लास ४ के लोग इस वक्त बहुत तंगदस्ती में श्रपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस महगाई के जमाने में जिंदा रहने के लिए श्रीर श्रपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वे काफ़ी वेतन नहीं पा रहे हैं। उनके लिए क्वार्टर्स का इन्तजाम करना यह सब से बड़ा श्रीर जरूरी काम है। ऐसी दुनिया में कोई रेलवे नहीं है जो कि श्रपने कमंचारियों को नौकरी तो दे लेकिन उनको रहने के वास्ते जगह नदे। इसलिए सब से पहली तवज्जह रेलवे मंद्रालय को श्रपने क्लास ४ कमंचारियों के वास्ते क्वार्टर्स का बन्दोवस्त करने की है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आप एम॰
ए॰ तक जो परीक्षा लेते हैं उसमें तो हिन्दी
को हिन्दुस्तानी को मीडियम रक्खा है लेकिन
एक मामूली बुकिंग क्लर्क को रखने के लिए
और मामूली से किसी एक एकाउंटेंट को रखने
के लिए अंग्रेजी में इम्तिहान लिया जाता है।
उसका मीडियम अंग्रेजी होता है। यह अंग्रेजी

[श्री यशपाल सिंह]

Demands

का मीडियम बन्द होना चाहिये घौर उसको भपने जो प्रदेश की लैंग्वेज हो, चाहे हिन्दी हो, उर्द हो, बंगला हो या चाहे गुरुमुखी हो, उस प्रदेश की जो जबान हो वह जबान ही ऐसे इम्तिहानों का मीडयम होनी चाहिए श्रंग्रेजी नहीं । यह एक बहुत बड़ी ज्यादती इस वक्त हो रही है कि एम० ए० ग्रीर भाई० ए० एस० तक तो हिन्दी का चलन है बो कि हमारे मुल्क की जबान है लेकिन इस तरह के छोटे इम्तिहानोंमें ग्रंगेजी का चलन रहे।

एक धन्य सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि मभी रेलवे ऐक्सीडेंटस के इन्सपैक्टर का दफ्तर शिमले में है। ग्रब शिमले में उसका दफ्तर होने से नुकसान यह होता है कि दिल्ली तक भ्राने में उस बेचारे को १४-१६ घंटे लग जाते हैं। इसलिए यह उचित होगा कि रैलवे ऐक्सीडेंटस के इंसपैक्टर का दफ्तर शिमला से हटाकर यहां दिल्ली में जो कि सैंटल प्लेस है, ले श्राया जाये ताकि उसको धाने जाने में दिक्कत न हो घौर मौके पर पहुंचने में भ्रभी जो उसे २०, २० भ्रीर २४, २४ घंटे की देर हो जाया करती है वह न होने पाये ।

रेलगाड़ियों के स्टेशनों पर स्टौपेज के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उनका स्टौपेज बहां उन स्टेशनों पर होने वाली की बिक्री को ध्यान में रख कर करना चाहिए। ध्रब चंडक स्टेशन हमारा पड़ता है। वहां पर टिकटों की सब से ज्यादा बिकी होती है क्योंकि बिजनीर को जाने वाले भादमी हर साल वहां से सफर करते हैं। चंडक स्टेशन के ऊपर हावड़ा ऐक्सप्रैस नहीं इकती है जो कि देहरादून से हावड़ा तक बाती है। यह चंडक स्टेशन लखनऊ ग्रीर देहरादून के रास्ते में पड़ता है। यहां पर ऐक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती है हालांकि इस स्टेशनपर टिकटों की बिक्री बहुत ग्रधिक होती है श्रीर वह उन स्टेशनों के मुकाबले में जहां कि गाड़ी रुफरो है, यहां की टिकटों की

बिकी २०, २५ गुना प्रधिक होती है। इस स्टेशन से बिजनौर को जाने वाले लाखों भादमी हर साल सफ़र करते हैं। जहां दिल्ली धे लखनऊ से भौर देहरादून के लाखों भादमी हर साल भाते जाते हैं उस स्टेशन के ऊपर इस गाड़ी का रुकना सबेरे शाम बहुत जरूरी है जो कि देहरादून से हावड़ा तक जाती है भीर लखनऊ से हरद्वार तक जाती है।

जहां तक पयुल का सवाल है भ्राज जब कि हमारे देश को भार्डिनेंस फैक्टरीज में हथियार बनाने के लिए भीर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टयबवेल्स म्रादि लगाने के लिए बिजली की पावर की बहुत श्रधिक जरूरत है तब यह बिजली से रेलीं चलाना देश के लिए भिधक फायदेमन्द साबित नहीं हो सकता है। धाज के समय वही ट्रेनें देश को फायदा पहुंचा सकती हैं जो कि डिजोल से चलती हैं भीर जो कि कोयले से चलती हैं। भाज हमें भ्राडिनेंस फैक्टरीज में पावर की जरूरत है। जहां कि हमें बम बनाने हैं, पिस्तौलें भी तैयार करनी हैं, राइफलें भी तैयार करनी हैं ग्रीर डिफेंस के लिए हमें भीर भी भावश्यक सामान तैयार करना है। इसी तरह से इर्रीगेशन परपजेज के लिए बिजली चाहिए, टयबवेल्स म्रादि लगाने के लिए बिजली चाहिए तो ऐसी हालत में बिजली से रेलें चलाना देश के लिए लाभप्रद नहीं होगा। श्राज देश को दो चीजों की सब से ज्यादा जरूरत है. एक धनाज पैदा करने की **धौर दूसरी देश** की रक्षाकरने की ।

यह जो भापकी शाहदरा सहारनपुर रैलवे है इसकी हालत बड़ी भ्रसन्तोषजनक है। इसका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। सांपला भीर कैराना जैसे इसके प्रलावा स्टेशनों के ऊपर ऐसा इन्तजाम हो ताकि श्राज जो बुक हुआ सामान बीस, बीस दिन तक पड़ा रहता है भौर रेलवेज को भी नुकसान होसाहै वहन हो ।

रेलवे मंद्रालय को इनक्वायरी क्लर्क्स जो कि दरग्रसल १८, १८ घंटे काम करते हैं उनको नाइट ड्यूटी एलाउंस देना चाहिए। द्याज उनको जो पैसा मिलता है वह सिर्फ म घंटे के काम करने का मिलता है जब कि उनको काम १८, १८ घंटे करना पड़ता है। इसलिए उनको नाइट इयटी एलाउंस दिया जाय । रुडकी स्टेशन जो कि हरिद्वार श्रीर देहरादून के बीच में पडता है ग्रीर उसकी जो मिलैटरी इम्पोंटेंस है वह किसी से छिपी नहीं है, वहां पर घोडों, तांगों ग्रौर टैक्सी वालों ब्रादि के खड़े होने के लिए कोई शैड का बन्दोबस्त नहीं है। वहां पर रात के ग्रन्धेरे में, वर्षा के दौरान या घुप से बचने के लिए बन्दोबस्त होना चाहिए । एक शेड वहां पर बनना बहुत जरूरी है ताकि घोड़े, तांगों, टैक्सियों ग्रीर रिक्शेवालों को जो कि वहां रहते हैं उनको सहलियत हो जाय । इसलिए वहां पर शेड बनाया जाना बहुत जरूरी है।

रेलवे मंत्रालय को थर्ड क्लास के मुसा-फ़िरों के लिए ग्रधिक सुविधा देने का बन्दोबस्त करना चाहिए । उसको यह नहीं भूलना चाहिए कि उसको इन लोगों से १ ग्ररब रुपये से ज्यादा की भ्राय होती है। भ्राज उनके लिए कोई सुविधा नहीं है । फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स जिनसे कि रेलवेज को थोड़ी स्राय होती है उनको तो सब सहलियतें होती हैं लेकिन जिनसे कि उसे कहीं ग्रधिक ग्राय होती है उनकी म्रोर उपेक्षा ही बर्त्ती जाती रही है। मैंने तो यह भी देखा है कि तीसरे दर्जे के टिकट तो जारी कर दिये जाते हैं लेकिन उन टिकट होल्डर्स के बैठने के लिए कोई जगह सुलभ नहीं होती है। अगर आप टिकट देते हैं तो उनको सीट भी तो श्रापको प्रोवाइड करनी चाहिए । ग्राप कहते हैं कि करीब ५० लाख घादमी रेलवे पर रोजाना सफर करते हैं। ग्रब जब ग्राप पचास लाख टिकट _रोज ईश्यू करते हैं तो ४० लाख सीट्स भी े रेलवेज को मुहैय्या करनी चाहिएं।

दिक्कत यह हो जाती है कि सफर करने वाले तो ४५ लाख हो जाते हैं श्रीर सीटें रेलवे में केवल २० या २५ लाख ही होती हैं। इसलिए इस श्रीर मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए।

रेलवेज ने काफी काम किया है श्रीर मैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहता। ग्राज जब कि देश के ऊपर संकट है तो रेलवे डिपार्टमेंट की सब से बड़ी सर्विस हमें मिल रही है स्त्रीर मैं इसके लिए रेलवे बोर्ड के चेग्ररमन साहब को मुबारकबाद दिये बग़ैर नहीं रह सकता जिन्होंने कि ग्रच्छा काम करके दिखलाया । ही रोज ट्दी उकैजन। उन्होंने वह काम किया जो कि एक स्वतन्त्र देश के नागरिक को करना चाहिए । मैं मिनिस्टर साहब को भी इसके लिए मुबारकबाद देता हं । फोर्य क्लास के कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बड़होतरी की जाय। थर्ड क्लास के मसाफिरों की सुविधा का बन्दोबस्त किया जाय । इसके म्रलावा खासतौर से चंडक स्टेशन जो कि एक बहुत ही मशहर स्टेशन है ग्रीर जहां कि उन स्टेशनों के मुकाबले जहां कि स्टौपेज है, २०, २४ गुना अधिक टिकटों की बिकी होती है, उस स्टेशन पर भी गाड़ा रुकनी चाहिएं। इन शब्दों के साथ मैं इन सप्लीमेंटरी मांगों का समर्थन करते हुए चाहता हूं कि हाउत्स इन्हें मंज़रकरलें।

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): Sir, I once again congratulate the Ministry for the admirable work done in running the railways and in the provision of passenger amenities. While paying my tribute, I wish to say that I entirely agree with Mr. Sharma who laid emphasis on educational and medical facilities for railway servants. It is no exaggeration to say that hospitals run by the railway department are more popular than the State Government hospitals or local board hospitals. In Guntakal for instance, people living in the town go to the railway hospital for medical treatment. In that way the railway administration has been doing good service not only to its own employees

1963-64

[Shri P. Venkatasubbaiah]

but also to other common citizens. But the popularity of railway hospitals depends upon the doctors who are posted there. A popular doctor working at Guntakal has been unnecessarily transferred to some other far-off place resulting in great hardship to the people, in spite of the wishes of most of the railway employees there. All these facts should be borne in mind when posting and re-posting such popular doctors.

If railway employees are transferred from place to place in the middle of the school year, they find it very difficult to find places for their children in schools. The Railways themselves should run educational institutions to serve such people; that will also serve the purpose of national integration because people belonging to various parts of the country will be found there and such educational institutions will serve the cause of national integration much better.

Guntakal is an important railway junction and they should start a college there as thousands of railway employees work there and the college could cater to the needs of the employees in that division. If we record our complaints in the complaints book about the passenger amenities such as water and other facilities, it takes long correspondence and much more time; immediate action could be taken. In Rungapuram, a station between Dronachalam and Vijayawada, people and passengers especially are not getting drinking water. Such amenities should be provided. From Adoni to Bombay the third class passengers find it difficult to have sleeping arrangements in the coaches that are attached to Bombay-Madras Mail or express. The local passenger association advisory committee requested the Government to put some additional third class coaches.

I am happy that slowly the railways are realising the desirability of departmental catering where there was private contractor's catering. Secunderabad is an important station but it is still being catered by private contractor: the position there is thoroughly bad. The sooner departmental catering is introduced, the better.

The efficiency bureau conducted surveys in 1950 and it says that there had been a phenomenal increase in the workload index of different railways, particularly in the southern, central and norther ones. The average is 160, while it has gone up to 205 in the southern, to 200 in the northern and 195 in the central zones. There is bound to be administrative inefficiency. It is time the railway administration took a decision create at least two more railway zones so that more amenities could be given to the passengers and the railways also could be run more efficiently.

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Trivedi.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, I think when my hon, colleague Mr. Trivedi speaks, there should be quorum in the House.

Mr. Deputy-Speaker: Let the Bell be rung—there is quorum now.

Shri U. M. Trivedi: Sir, I will not take much time of the But looking at the supplementary demands I have felt that I should make a special reference to these medical facilities that are being pro-Sir, it is high time that arrangements were so made for affording medical facilities to the railway employees that the doctor should not make use of his position only to grant leave certificates but he must also be a man who will be able to render medical help. Very recently there was an occurrence at Khambli Ghat when the child of one Class IV employee was dying, and a request was made to the doctor. doctor refused to attend on one ground or another, with the net result that the child died. At far-off places where medical facilities are not available and medical attendance has to be urgent, such callous attitude on the part of the doctors is to be highly deprecated, and the Ministry should look into this matter.

The other matter to which I would like to make a pointed reference is this. Last time, during the general discussion of the Railway Budget, I had brought it to the notice of the Railway Ministry that there is not much uniformity available in the railway administration. To give an illustration, I find that the station-master at Ahmedabad metre-gauge section who attends to twenty-six trains gets less salary than the person on the broad gauge who attends to thirteen trains. This anomaly must be remedied. When things are brought to the notice of the administration they must be judged in the proper perspective, and the complaint must not be thrown into the waste-paper basket....

The third thing which strikes me as very strange is that in the enquiry offices the men who are posted as enquiry officers do not know the language of the place where they are posted. Recently I had an occasion of going to Ahmedabad where I found that the man at the enquiry office, on the side where the general public is Gujarati who come and make enquiries, was a young Punjabi boy who never understood the language of the men making the enquiries, with the net result that neither the man who answered nor the one who wanted the answer could understand each other. So at least in these positions men knowing the local language must be posted.

These are of course small things. But I take this opportunity of drawing the attention of this House and of the Ministers concerned to this point that these small affairs go a long way in creating proper amenities for the employees as well as the public at large, and I hope the Ministers will apply their minds to them.

डा० महावेव प्रसाद (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महांदय, सामान्यतः इन मांगों का समर्थन करते हुए मैं आपका घ्यान कुछ बातों की ग्रोर श्राक्षित करना चाहता हं।

इन मांगों में नई रेलवे लाइनों के लिए रुपया मांगा गया है । इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हं कि रेलवे मंत्रालय का ध्यान पिछड़े हुए क्षेत्रों की उन्नति की ग्रोर नहीं गया है, यह बहुत ही दु:ख की बात है। मैं श्रापके सामने श्रपने क्षेत्र का एक उदाहरण रखना चाहता हं। पिछली बार जब पूर्वोत्तर रेलवे की बैठक हुई थी उस वक्त हमारे रेल मंत्री जी ने उसको ग्रध्यक्षताकी थी। उस वक्त मैंने उनका ध्यान गोरखपूर से महाराजगंज ठंठीबारी श्रीर निचलील को रेलवे लाइन से जोडने की स्रोर खींचा था। एक प्रकार से यह पूरी की पूरी एक तहसील रेलवे लाइन से विल्कुल अविच्छिन्न है। यह क्षेत्र नेपाल की सीमा पर स्थित है ग्रौर ग्रगर यहां पर रेलवे लाइन बिछा दी जाए तो सामरिक तौर पर यह इलाका सुदृढ़ हो सकता है। इसमें चावल ग्रच्छा पैरा होता है, गन्ना ग्रच्छा पैदा होता है। यहां पर रेलवे लाइन अगर बिछ जाए तो इस इलाके की श्राधिक प्रगति हो सकती है यह इलका सकता है। मैं चाहता हूं कि इस श्रोर माननीय मंत्री जी ध्यान दें

श्रव मैं श्रापका घ्यान प्रशासन के लिए जो मांगें रखी गई हैं, उसकी श्रोर श्राकर्षित करना चाहता हूं। श्रभी हमारे एक मित्र ने बहुत ठीक कहा है कि रेलवे प्रशासन में बुनियादी परिवर्तन करने की श्रावश्यकता है। जहां पर बड़े श्रफसर रहते हैं, उनके दफ्तरों में क्लकों की भरमार रहती हैं जो कि बहुत कम वास्तव में काम करते हैं। श्रफसर तो फाइल पर दस्तखत करके एक जगह से दूसरी जगह ही उसको भेज देते हैं। लेकिन छोटे दफ्तरों में जहां छोटे इफसप होते हैं वहां पर क्लकीं का तादाद भी कम होती है श्रीर वहां पर सही मानों में पूरे विस्तार में [डा॰ महादेव प्रसाद]

छनको काम करना पड़ता है। यह जो चीज है यह बदलनी चाहिये। इस गारे में स्रवहय परिवर्तन लाने को कोशिश होनी चाहिये।

फाइलों के रख रखाव का जो तरीका है वह भी बहुत गलत है। पता नहीं किस तरह से फाइलों का डिसैंट्रलाइजेशन इस हद तक बढ़ गया है कि धगर एक स्टेशन खोलने की बात होती है तो स्टेशन के नक्शे की फाइल तो एक ग्रादमी रखता है तथा उसमें जो ग्रौर मुविधायें देने की बात होती है, वह फाइल दूसरा घादमी रखता है। ग्रगर स्टेशन के बारे में जानकारी हासिल करने की जरूरत महसूस होती है तो उसको हासिल करने में महीनों लग जाते हैं। इस तरह से मलग मलग मादमी रख दिये गये हैं कि चिट्ठी तो एक ब्रादमी भेजता है ब्रौर कोई दूसरा ही उसका रिमाइंडर भेजता है । ग्रापको सून कर ध्राक्चर्य होगा कि एक बार ऐसा हुन्ना कि चिट्ठी तो गई नहीं, रिमाइंडर उसके पहले ही पहंच गया। यह इसलिए हम्रा कि **धलग धलग धादमी उसके लिए जिम्मेदार** हैं।

धभी हमारे एक मित्र ने रेलवे में जो खा दिपार्टमेंट है उस के सिलसिल में कुछ बातें आप के सामने रखों हैं। ला डिपार्टमेंट भी एक ग्रजीब डिपार्टमेंट है रेलवे का । रेलवे क्लेम्ज या दूसरे जो केसेज होते हैं उन के लिए सा सूपरिन्टेन्डेन्ट या श्रसिस्टेंट रखे जाते हैं। छन का काम कोई ग्रदालत में जा कर बहस करना नहीं होता है। जो वकील कांट्रैक्ट पर रखे जाते हैं उन की मदद में वे जाते हैं। मुझे यह बात बहुत गलत मालूम होती है कि जो ला मसिस्टेंट या ला स्परिन्टेन्डेन्ट रखे जाते हैं उन का काम वैसा ही हो जैसा कि किसी बकील के मंशी का होता है। उससे ज्यादा वे कोई काम नहीं करते हैं। यह जब हालत होती है तो इससे एक तो रेखवे का पैसा बरबाद होता है। भ्रीर दूसरे जवान वकीलों का जीवन भी नष्ट हो जाता है क्योंकि उनको कभी

भी मुकदमे का चार्ज या पैरवी करने का तजुर्बा नहीं माता है। इस तरह से राष्ट्रीय क्षति होती है,रेलवे को भी क्षति होती है । इस ग्रोर ग्रापका ध्यान जाना चाहिये ।

धभी हमारे एक माननीय मित्र ने रेलवे में जो मैडीकल सुविधायें दी जा रही हैं, उन का जिक्र किया है। मैं मानता हुं कि हमारे रेलवे के जो ग्रस्पताल हैं वे बहुत ग्रच्छा काम करते हैं उन की भ्रच्छी ख्याति है लेकिन जो लोग डाक्टरों से सुविधा या सहायता लेना चाहते हैं उन के बारे में एक प्रजीब बात हम को भ्रपनी पूर्वोत्तर रेलवें में देखने को मिली है। भ्रगर कोई कर्मचारी गोरखपुर के पास के मानीराम स्टेशन पर बीमार होता है भीर उस को मैडीकल सर्टिफिकेट लेना होता है तो वह सर्टिफिकेट गोरखपुर के प्रस्पताल में मा कर नहीं ले सकता है बल्कि उस के लिए उस को नौगढ जाना पडेगा जहां जाने में उस को ग्राधा दिन लगेग्रा ग्रीर दूसरा ग्राधा दिन वापिस लौटने में लगेगा । इस से एक तो कर्मचारी को श्रमुविधा होती है मेडिकल सर्टिफिनेट लेने में दूसरे जो काम पास की जगह पर हो सकता है, उस के लिए उस की दूसरी दूर की जगह पर जाना पडता था श्रीर वहां जा कर सर्टिफिकेट लेना पडता है और तीसरे इस से भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि डाक्टर जानता है कि मैडीकल सर्टिफिकेट लेने मेरे पास ही भ्राएगा. दूसरे के पास जा नहीं सकता है। मैं चाहता हुं कि रेलवे कर्मचारी को छट होनी चाहिये कि किसी भी रेलवे ग्रस्पताल के ग्रफसर के पास जो कि उस के घर के नजदीक हो, जा कर वह सर्टिफिकेट ले सकता है भीर उस सर्टिफिकेट को जायज माना जाना चाहिये। वैसे तो होना यह चाहिये कि किसो भी रजिस्टढं प्रैक्टीशनर से वह सर्टिफिक्नेट ले कर देसकता है लेकिन ग्रगर यह चीज श्राप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम यह तो कर दें कि किसी भी रेलवे [डाक्टर से वह

सर्टिफिकेट ले सकता है ब्रोर रेलवे डाक्टर किसी भी बीमार कर्मचारी को सार्टिफिकेट देने का बाध्य रहे।

भी प्र० प्र० शर्मा : नीयरेस्ट ।

डा० महादेव प्रसाद : हां नीयरेस्ट रेलवे अस्पताल का डाक्टर ।

गोरखपुर रेलवे का हैडक्वार्टर है। वहां पर मेरे ध्याल में बीसों हजार कर्मचारी काम करते होंगे। मद्रास धीर दूसरे शहरों को भाप ने बी क्लास किया है। गोरखपूर में भो रोजाना मंहगाई इत्यादि को ले कर भ्रान्दोलन होते हैं। श्रभी हमारे रेल मंत्री जी वहां गए थे। उन के सामने कर्मचारियों ने ग्रपनी बात बहां पर रखी थी। मेरी समक्ष में नहीं आता कि जब कि गोरखपुर में इतने कर्मचारी हैं. उन की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं षाता है। मैं यह मांग करना चाहता हं कि भीर शहरों के साथ साथ गोरखपुर को भी बी क्लास का शहर कर देना चाहिये जो वहां पर सिन्ट्ल गवर्नमेंट के एम्पलाइज हैं उन को पूरी सुविधायें दी जानी चाहियें। मैं ग्राप से निवेदन करता हं कि गोरख-पुर बहुत मंहगा शहर है। शायद वह उत्तर प्रदेश का सब से मंहगा शहर माना जाता है।

इन शब्दों के साथ प्राप ने जो मुझ को थोड़ी बहुत बातें ग्रपने क्षेत्र के सिलसिले में रखने का भवसर दिया उस के लिये श्राप को धन्यवाद देता हुं।

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I support the supplementary demands amounting to Rs. 350 crores which have been placed before the House for consideration. I have to make one or two observations as regards Demand which is for Rs. 2,33,33,000. I am glad this demand is made before us, particularly because it represents the increased expenditure which railway have to make on occount of the enhanced rates of dearness

allowance to lower grade Central Government employees, payment of house rent and city compensatory allowances at enhanced rates, effective from 1st January, 1964, as a result of reclassification of certain towns and cities, and so on.

1963-64

With regard to one item which is the result of reclassification of towns, I am glad that effect is being given to it. On that point, I have to make one observation. For reclassification and the upgrading of towns, the only criterion now applied is population. I would like to say that the cost of living should be the criterion. Now, if a town has got 20 lakhs population or something like that, then it is upgraded. We have been contending that the question of cost of living should be the main point for consideration for upgrading the towns. In that connection, I have also mentioned that there are several towns like Nagpur where the cost of living has been found to be much higher than that in Bombay, Madras even Calcutta. Attention has been drawn to this point by another hon. Member.

It has also been pointed out that there are railway towns, though not may be big cities, where railway population is conthe and gested in around the cost of living has been rising in those towns. So, the main point for consideration is the happiness and welfare of the employees who are living there, and that is the point which the railways should take into consideration. From this point of view, I again urge that the principle of population being the only criterion for upgrading a town or for the employees being made eligible for getting enhanced compensation allowances should be discarded, and the real criterion, namely, the cost of living, should be taken into consideration, and effect should be given That is my first point. I know the conditions of Nagpur personally, and so I mentioned

4752

[Dr. M. S. Aney]

town particularly as an illustration. There are other towns like that which deserve to be taken into consideration, and the same criterion should be aplied to them, namely, the cost of living.

My second point is this: The Khandwa-Hingoli line has been constructed. There were many high expections held when the line was first constructed. But I find that the line is a very slow-moving one. In regard to the timing of the trains also, they are not connected with the trains coming from the north or from the south. If this is properly arranged, this line would be more useful to the people. I only want the hon. Minister to look into this aspect of the matter.

One more point and I have done. The Nagpur-Umrer line is under construction. I want that work to be expedited, and the work on that line done more quickly, so that it will soon be completed and the purpose for which it is being laid will be fulfilled adequately.

श्री विश्वाम प्रसाव (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंटरी बजट रेलवे के सम्बन्ध में सदन के सामने पेश हैं उस के बारे में मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं।

सब से बड़ी चीज तो यह है कि रेलवे डिपार्टमेंट के किसी भी सेवशन को ग्राप ले जीजिये। उस में लाख की संख्या तो कोई महत्व ही नहीं रखती। पब्लिक प्रकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट ग्राती है उस में लाखों रुपये कुछ महत्व नहीं रखते। कहीं कहीं पर जो रेल के स्लीपर पड़े रहते हैं उन में ग्राग लग जाती है। जब पूछा जाता है कि कैसे ग्राग लगी तो कहा जाता कि सिगरेट एन्ड्स से ग्राग लग गई या एंजिन से उड़ कर ग्राग लग गई: मैं ने पूछा कि ग्राखिर वह स्लीपर कितने फासले पर रबखे हुए थे रेलवे ट्रेक से तो पता खगा कि २०० गज दूर या २५० गज दूर थे।

मैं नहीं समझता कि २०० गज दूर पर
कसे सिगरेट एन्ड्रस के गिरने से श्राग लग
जाती है। इसी तरह से सप्लंस स्टाक रेलवे
के पास पड़ा हुआ है, और बहुत सालों से पड़ा
हुआ है, जिस में काफी स्पया सरकार का या
पिंचक का, जो भी किहिये, फंसा रहता है।
अगर रेलवे इन सब मामलों में एकानामी
रक्खे तो मैं समझता हूं कि जितनी सप्लीमेंटरी
डिमान्ड्स बजटप्की सदन के सामने पेश होती
है उन में से बहुत १ छ को बचाया जा सकता
है।

कुछ मैं भ्रपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हं। ध्रभी पटेल कमीशन उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा करने गया था। उस के सम्बन्ध में उस ने कुछ सजेशन्स दिये थे। उस ने कहा था कि शाहगंज से गोरखपुर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये। लेकिन जब हम लोगों ने सवाल पूछा तो उस में कहीं भी उस का कोई जिक नहीं था। मैं रेलवे मंत्री जी से यह पूछना चाहंगा कि इस के बारे में सरकार क्या सोच रही है या रेलव मंत्रालय क्या सोच रहा है। वहां पर छोटी लाइन होने की वजह से यानियों की हालत इतनी खराब है जिस का टिकाना नहीं है। साल के कुछ महीनों में पैसेन्जरों के भ्राने जाने में बड़ी दिक्कत हुन्ना करती है।

इसी तरह से बनारस से गोरखपुर. लाइन की बात है। उस रेल में बड़ी भीड़ चलती है। गिमयों में जब कि शादी विवाह होते हैं, प्रगर प्राप देखें तो पता चलेगा कि जितने लोग गाड़ी के भीतर होते हैं, उतने ही पटरियों पर होते हैं और करीब करीब उतने ही छत पर होते हैं। मैं प्रायंना करूंगा कि इस बारे में मंत्री महोदय कोई जांच करायें कि गाड़ियों में कितने पैसिजन्रों की कैपेसिटी होती है क श्रीर कितने पैसिजन्रों कर करते हैं। मैं सरकार का घ्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह इस मसले को

हल करें ग्रोर उस्म लाइन पर जिसनी ट्रेन बढ़ानी सम्भव हो उतनी बढ़ाने की कृपा की जाये।

श्रभी पटेल कमीशन ने या प्लानिंग कमीशन ने एक पुल गाजीपुर के पास ताड़ी घाट में बनाने के लिये कहा था। कलकत्ते के पैसेन्जरों को वहां जाने के लिये पहले बनारस जाना पड़ता है उस के बाद फिर छोटी लाइन से वहां पहुंचना पड़ता है। श्रगर वह पुल रोड कम रेलवे का बन जाये तो उस से बहुत बड़ी समस्यया हल हो जाये। यात्रियों को जो सी, सवा साँ मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है वह किटनाई बहुत हद तक दूर हो सकती है। मैं चाहता हूं कि श्राप इस तरफ भी ध्यान दें ग्रीर वहां पर जो पुल बनाया जा रहा है श्राप के द्वारा उस को रोड़ कम रेल का बनाया जाये जिस से कि जो बहुत बड़ी श्रमुविधा होती है वह दूर हो जाये।

मेरे क्षेत्र में एक भौरिहर स्टेशन भाता है। मैं भ्राप को उस की हालत बतलाऊं। ब्लेट फाम बीच में है, बुकिंग स्टेशन बीच में है, भ्राधो दूर तक पुल बना हुआ है भ्रीर भ्राधी दूर तक खोड़ दिया गया है। एक तरफ से भ्राधी दूर तक छोड़ दिया गया है। एक तरफ से भ्राधी क्लेट फाम पर पहुंच सकता है लेकिन दूसरी तरफ जिथर ज्यादा गाड़ियां होती हैं उधर भ्रादमी जा नहीं सकते। इस के कारण बहुत से भ्रादमी, श्रीरनें भ्रीर जानवर कट जाया करते हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं। कि जैसे भ्राप ने एक तरफ से भ्रभोच रोड बनाया वैसे दूसरी तरफ से नहीं बनाया, इसका क्या मकसद है।

श्रीरिहार स्टेशन है नार्थ ईस्टर्न रेलवे पर । यह जंक्शन है । वहां सें बोनपुर ३६ मील पड़ता है । ब्रिटिश जमाने में एक गाड़ी वहां श्राया जाया करती थी । पिछली दफा, जो टाइम टबिल बनाते हैं, उन्होंने उस गाड़ो को जो पहिले गोरखपर से जातो थी, जोनपुर को कर दिया । मैंने लिखा पढ़ी की तो उसें बन्द कर दिया और उसे श्रव जौनपुर से छपरा के लिए कर दिया । इस ३६ मील के टकड़े के लोगों के लिये यह लोकल ट्रेन काफी जरूरी है। मैंने इस बारे में जनरल मैनेजर से भी कहा। उस गाड़ी में दूसरी जगह के पैंसिजर नहीं प्राते। इस गाड़ी को बदल देने से जो घ्रासानी पहले पैंसिजरों को थी वह नहीं रही, उन को उतर कर गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। इसलिये मैं चाहता हूं यह जो तकलीफ वहां की जनता को होती है उस की तरफ रेलवे मंत्रालय विशेष घ्यान दे।

भी गणपति राम (मछलीशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द सुझाव माननीय रेलवे मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हुं। पहली पालियाभेंट में मैंने शाहगंज से जंघई को मिलाने वाली एक रेलवे लाइन के सम्बन्ध में कहा था। उस सम्बन्ध सूनने में भ्राया कि सर्वे भी हो चुका है। लेकिन भाज तीसरी पालियामेंट चल रही है। १५ वर्षों के भ्रन्दर भी भ्रभी तक उस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारा जीनपुर जंक्शन है, जहां बनारस से, लखनऊ से, सुलतानपूर से, इलाहबाद से, चारों तरफ से लाइनें भ्रा कर मिलती हैं, भीर वह एक **ध**च्छा खासा जंबशन है। उस के प्लेटफार्म पर शैंड लगाने के लिए हम ने कम से कम दस बार तो कहा होगा, लेकिन भ्राज तक वहां शैड नहीं लगाया जा सका। मैं फिर माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उस का सर्वे कराकर उचित व्यवस्था करें।

जौनपुर इलाहबाद लाइन पर एक छोटा सा स्टेशन है शुदर्नापुर । बीच में एक गांव है कजगांव । उस जिले के एम० एल०ए० ने उस के लिए लिखा कि वहां एक हाल्ट स्टेशन बना दिया जाए । जवाब मिला कि सर्वे हो रहा है, बना दिया जाएगा । लेकिन श्रभी तक वह नहीं बना, उसे बनाने की कृपा की जाए ।

मुझे यह देख कर श्राश्चर्य होता है कि श्राज तीन साल हो गए जाफराबाद से सुलतान-पुर लाइन पर जौनपुर सिटी स्टेशन बन कर तैयार हो गया, वहां से मुसाफिर चलते हैं श्रीर वहां मुसाफिर उतरते हैं। लेकिन वहां

1963-64

[श्री गणपति राम]

के लिए बुकिंग ब्राफिस का इन्तिजाम नहीं हो सका है। जनता ने भी इस के लिए प्रायंना की, मैं ने भी लिखा लेकिन माज तक वहां बुकिंग का इन्तिजाम नहीं हो सका है। इस से रेलवे का सैंकड़ों रुपए का नुकसान होता है, जो लोग चलते हैं वे टिकट नहीं ले पाते। इसलिए वहां बुकिंग की व्यवस्था होनी चाहिये।

रेलवे के भन्दर हरिजनों के लिए बहुत सी सुविधायें दी गयी हैं भौर उन के लिए कल बनाए गए हैं। क्वाटसं वे श्रलाटमेंट के लिए भी रूल हैं। लेकिन मैं ने देखा है कि तीसरी भौर चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को जो क्वार्टर मिलने चाहियें वे दूसरे लोगों को भ्रलाट कर दिये जाते हैं। मैं ने ऐस कुछ केस रेलवे मंझी के सामने रखे हैं। ईस्टर्न रेलवे पर म्गलसराय में एक हरिजन कर्मचारी ६-७ साल से काम कर रहा था। उस को क्वार्टर नहीं ग्रलाट किया गया द्यपि क्वार्टर खाली था। उस ने खाली क्वार्टर भाकूणई कर लिया, तो उस को नोटिस दिया गया कि तुम से दूगना भौर तिगुना रेंट वसूल किया जाएगा। जब उस ने एक्स लेनेशन दिया तो उस को ससपेंड कर दिया गया। ऐसे वे.सेंज की ग्रोर खास ध्यान देने की भावश्यकता है।

रेलवे में यह भी नियम है कि जो शिडयूल्ड कास्ट के कर्मचारी हैं उन को भगर उनके घर के पास का कोई स्टेशन खाली है तो तो उस पर रखा जाए । मैंने ऐसे बहुत से केसेज रेलवे मन्त्री के सामने रखे कि गोरखपुर नार्थ ईस्टर्न रेलवे में बहुत से एम्पलाई जो बनारस के भ्रासपास के रहने बाले हरिजन हैं भीर बनारस डी० एल० डब्ल्यू० में भ्राना चाहते हैं, उनकी दरख्वास्तें तीन तीन चार चार साल मे पड़ी हैं, लेकिन उनको वहां नहीं भेजा जाता । ऐसे लोग जनकी एप्रोच होती है उनको डी० एल०

मुझे यह देख कर ग्राश्चर्य होता है कि यद्यपि रेलवे में हरिजनों के लिए सरिवस में कोटा रिजवं है, लेकिन जो रेलवे पब्लिक सरिवस कमीशन का दफ्तर है उसमें इस पर ग्रमल नहीं किया जाता । मैं कहना चाहता हूं कि ग्रापकी नाक नीचे जो रेलवे बोर्ड का दफ्तर बरौदा हाउस में है, उसमें भी यह रिजरवेशन का नियम नहीं माना जाता । मेरी प्रार्थना है कि इन दफ्तरों में भी हरिजनों को कोटे के ग्रनुसार स्थान मिलने चाहिएं।

मैंने ग्राज से ग्राठ साल पहले प्रायंना की थी कि जीनपुर इलाहाबाद लाइन पर एक स्टेशन है मिड़ियाहू। उसके पास एक छोटी सी नदी है जिस पर रेलवे का पुल है, सड़क का पुल नहीं है। इसलिए ग्रादमियों को नदी पार करने में बड़ी मुश्किल होती है। मैंने कई दफा लिखा तो इस पुल पर लोहे की चादरें लगा दी गयी थीं जिनसे लोग ग्राजा सकते थे। ग्रव वे चादरें घिस गयी हैं ग्रीर उनको रिप्लेस नहीं किया गया है। मैंने इसके लिए कई बार लिखा है ग्रीर उस पर ग्राज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए मन्त में यही कहना चाहता हूं कि हरिजनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो रिजरवेशन है और जो प्रोमोशन के सम्बन्ध में नियम है और जो मामला कि सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और जिसके सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड भी फैसला कर चुका है उस पर अमल किया जाए। मुझे आशा है कि ऐसे जो केसेज आपके सामने आवेंगे भाण उन पर उचित ध्यान देंगे।

श्री झोंकार लाल बेरवा (कोटा) : रेलवे सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स पर बोलते हुए में मन्त्री महोदय का ध्यान एक दफा फिर कोटा- म्रजमें र लाइन की तरफ दिलाना चाहता हूं। भगर उसको इस साल न लिया जा सके तो भगले साल उसको भवश्य लिया जाए। उसके बगैर लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। इसके बन

जाने से रेलवे को भी फायदा होगा श्रौर जनता को फी फायदा होगा ।

जब से एयर कंडीशन्ड गाड़ियां चलायी बा रही हैं, इनमें बराबर नुकसान ही हो रहा है। इनको चलाने से कोई फायदा नहीं है। आजकल एयर कंडीशन्ड दरजे का किराया और हवाई जहाज में जहां एक डेढ़ घंटा लगता है वहां एयर कंडीशन्ड गाड़ी में आठ घंटे लगते हैं। इसलिए मुसाफिर हवाई जहाज में यात्रा करना पसन्द करते हैं। मैं देख रहा हूं कि इन एयर कंडीशन्ड गाड़ियों में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इनको जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि रेसवे में किफायत पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैंने देखा कि भ्रजमेर में एक खड्डे को लाखों रुपए के लोहे से भरा गया, जबिक देश में लोहे की इतनी कमी है। भगर उसको मिट्टी से मरा जाता तो हजार पांच सौ में यह काम हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

ग्राज हम देखते हैं रेलवे में हर जगह स्तीपरों की बाउण्डरी लगायी जाती है। स्टेशन मास्टरों के बंगलों में चारों तरफ स्तीपर लगे हम देखते हैं। जहां कहीं बाउण्डरी बनानी होती है स्तीपरों को लगा दिया जाता है।

श्री शाहनवाख स्तां : वे कंडेम्ड स्लीपर होते हैं।

भी भोंकार लाल बेरवा : ग्रगर उनको नीलाम किया जाए तो पांच करोड़ रुपया ग्रा सकता है । ग्रगर इस तरह से रेलवे के माल की बरबादी न की जाए तो इन सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स की जरूरत ही न रहे । ग्रगर मुझे ने सारे पुराने स्लीपर दे दिए जाएं तो मैं पांच करोड़ रुपया दे देने को तैयार हूं । इसी कारण मैंने भापका ध्यान इस तरफ दिलाया है कि रेलवे का इतना नुकसान किस प्रकार हो रहा है ।

एक बात मैं भ्रौर कहना चाहता हूं कि टी॰ टी॰ ई॰ लोगों को बिल्ले नहीं दिए जाते। एक बार मैं जा रहा था। एक सज्जन ने मुझे से टिकट पूछा, तो मैंने कहा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं र्ट॰ र्ट॰ ई॰ हूं। मैंने पूछा कि तुम्हारा बिल्ला कहां है, तो उसने कहा कि रेलबे के पास हमारे लिए बिल्ले नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं भ्राता कि इस तरह कैसे काम होगा। उनको बिल्ले मिलने चाहिसे ताकि उनकी इज्जत हो।

एक बात मैं प्रपने एरिया के बारे में कहना चाहता हूं। रेलवे कालोनी में बोस पच्चीस हजार वर्कर हैं, उनके लिए क्वार्टर बने हैं लेकिन वहां पर पुलिस का कोई इत्ति-जाम नहीं है। कोटा राजस्थान में रेलवे कालोनी में इतनी प्रसुरक्षा है कि दिन में ताले तोड़ कर सामान उठा कर ले जाते हैं। दिन में ताले टूट जाया करते हैं भौर लोगों का सामान चोरी चला जाया करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसकी सुरक्षा का इन्तजाम किया जाय।

15 hrs.

वहां पर एक प्राइमरी स्कूल चल रहा है। वहां पर मास्टर राजस्थान का है जबिक उसकी बिल्डिंग रेलवेज की है ग्रौर इस कारण ग्रापस में मेल ही नहीं खाता है। वहां पर हाई स्कूल होना बहुत जरूरी है। जहां पर २०, २४ हजार वकंस काम करते हैं वहां पर एक हाई स्कल होना नितान्त ग्रावश्यक है।

कोटा राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं। वहां बजिरया में रेलवे स्टेशन के पास एक नाला है जिसके कारण वहां पर काफ़ी गन्दगी रहती है और बाजार में काफ़ी मच्छर पैदा हो जाते हैं। वहां पर इतनी गन्दगी रहती है कि कोई प्रादमी ठहर नहीं सकता है। रेलवे मन्त्रालय को इस नाले को बनवा देना चाहिए क्योंकि प्रगर यह नाला बन जाता है तो वहां पर सफ़ाई रह सकती है। नाले के किनारे किनारे रेलवे प्रफसरों के बंगले हैं और इसलिए भी रेलवे

[श्री ग्रोंकार लाल बेरवा]

Demands

मन्त्रालय को इस कार्य में दिलचस्पी दिख-लानी चाहिए क्योंकि नाले की गन्दगी से उनके स्वास्थ्य पर बुरा ग्रसर पड़ रहा है।

रेलवे के ग्रफसरान को भ्रगर तबदील किया जाय तो उनको प्रान्त के प्रान्त में किया जाय । यह नहीं कि राजस्थान का रेलवे श्रफसर बंगाल में भेज दिया, मध्य प्रदेश का राजस्थान में भेज दिया ग्रीर उड़ीसा का भ्रन्यत्र भेज दिया क्योंकि भ्रगर रेलवे के ग्रफ-सरान का श्राप तबादला ऐसे प्रान्त में कर देते हैं जहां कि वह भाषा ही नहीं समझता तो उसको बड़ी कठिनाई पड़ेगी । इसके **ध**लावा अगर श्राप उसे दुर कहीं परदेश में ट्रांस-कर करते हैं तो उसकों जो १०० या १२५ रुपये माहवार तनस्वाह मिलती है वह मकान किराये में ही निकल जायगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने मकान सब जगह ग्रपने कर्म-चारियों को देने के लिए हैं नहीं। ग्रगर रेलवे के कर्मचारियों का टांसफर करना ही हो तो उनके लड़कों के इम्तिहान के बाद करना चाहिए । ऐसा न हो कि लडकों के इम्तिहान दो महीने बाद होने वाले हैं भ्रौर इस बीच में उसके पिता का ग्रापने तबादला कर दिया। श्रब वह लड़के को श्रपने साथ दूसरी जगह ले नहीं जा सकता क्योंकि उसका साल मारा जाता है भ्रौर उस हालत में उसे दिक्कत पेश ग्रायेगी ग्रीर खर्च भी ग्रधिक करना पडेगा।

मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिस एरिया में जनरल मैंनेजर भ्राये वहां के एम॰ पी॰ को उसकी जरूर इत्तिला होनी चाहिए ताकि वह उस इलाक़े की भ्रावश्यक बातें उनके कान में डाल सके। इसलिए जहां भी जनरल मैंनेजर पहुंचें तो उसकी इत्तिला बहां के एम॰ पी॰ को हो जाय।

एक बात मैं भ्रोर कहना चाहूंगा। रेल-गाड़ी की स्लीपर कोच चाहे वह १६ डाउन में हो, चाहे २० भ्रप या मेल ट्रन में हो, उसका रिजरवेशन चार्ट एक ही गार्ड के पास रहता है। प्रव प्रक्सर होता यह है कि जब कोई याती प्रपना रिजरवेशन जानना चाहता है कि वह कहां पर है तो वह भ्रकेला गार्ड उसको बताने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है और इस तरह से एव-एक पैसेंजर को बतलाने के लिए उसको तीन- तीन चक्कर गाड़ी के लगाने पड़ते हैं। इसलिए ऐसा इन्त-जाम किया जाय कि खाली एक गार्ड के पास ही चार्ट न रहे। उसका कोई एक सहायक भी रहे जो कि यातियों को बतला सके कि उनका रिजरवेशन फलां डिब्बे में है।

एक बात में ग्रीर कहना चाहता हूं। स्लीपर कोच के भ्रन्दर वहां पर सामान रखनें की व्यवस्था होती है तो उस स्थान की चाभी एक कंडक्टर के पास होती है। वहां पर जो वह सामान उस डिब्बे के लोगों का होता है वह उस स्थान में ताला लगा कर रख दिया जाता है लेकिन उसमें कोई शिनास्त या नम्बर उसकी तरफ़ से नहीं लगाया जाता है जिससे कि यह जाना जा सके कि भ्रमुक सामान भ्रमुक यात्री का है। इस नम्बर ग्रौर निशानदेही के ध्रभाव में कोई भी उस डिब्बे का मुसाफिर भपने किसी दूसरे यात्री साथी का सामान उठा कर ले जा सकता है भीर उसकी कोई पकड़ नहीं है। इसलिए मैं चाहंगा कि कुछ सामान भ्रादि पर भ्रलग भ्रलग नम्बर या निशान लगाने की व्यवस्था की जाय ताकि इस तरह की गड़बड़ होने की सम्भावना ब रहे ।

एक बात मैं श्रीर कहना चाहूंगा। स्लीपर कोच में जो कंडक्टर के बैठने का स्थान बना है वह लैट्रिन के सामने उसकी सीट है। श्रव कंडक्टर भी बेचारा श्राखिर को इंसान है श्रीर जब वह पाखाने के पास बैठता है तो उसे भी बदवू तो श्राती ही होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसके बैठने का स्थान लैट्रिन के पास पे हटा कर श्रन्यत बना दिया जाय।

रिफ शमेंट डाइनिंग कार या गाड रिनंब रूम के अन्दर जहां खाने पीने का इन्तजाम है वहां पर केवल हलाली मांस ही पकता है। वहां पर झटके का मांस न मिलने के कारण हमारे सरदार भाइयों को बहुत शिकाायत है क्योंकि वह हलाली मांस तो खा नहीं सकते हैं। नतीजा यह होता है कि वह बेचारे मांस खाने से महरूम रह जाते हैं जबकि दूसरे लोग मौज उड़ाते हैं। इसलिए वहां पर झटके के मांस का भी प्रबन्ध होना चाहिए।

कोटा रेलवे स्टेशन पर यह सोफिया स्कुल कई सालों से चल रहा है। उसके हटाने के लिए मैंने कई बार निवेदन किया था। हमने मांग की थी कि इस स्कूल को रेलवे क्वार्टर से खाली करवाया जाय लेकिन हमारी समझ में नहीं श्राता कि रेलवे मन्त्रालय क्यों चुप्पी साधे वैठा हम्रा[ँ]है भ्रीर इसको क्यों नहीं वहां से खाली करवाता ? मन्त्री महोदय ने कहा वि ग्रगले साल से खाली करवा लेंगे लेकिन वह श्रभी भी खाली नहीं हुआ है बल्कि उनको और ग्रागे भी जमीन दी जा रही है। मैं चाहंगा कि रेलवे मंत्रालय ग्रब बिना विलम्ब के सोफिया स्कूल से रेलवे का क्वार्टर खाली करवाये ताकि उसमें रेलवे के मजदूर रह सकें। उस सोफिया स्कुल को श्रन्छी खांसी बिल्डिंग दे रक्खी है। पहुने यह भूत बंगले के नाम से प्रसिद्ध थी ग्रीर उसमें कोई रहने के लिए तैयार न होता था लेकिन भ्रब काफ़ी मजदूर उसमें रहने के लिए तैयार हैं इसलिए उसे खाली करवाया जाय।

शैड्यूल्ड कास्ट्स के कर्मचारियों के प्रमोशन का जहां तक सब ल है उनको प्रमोशन ठीक नहीं मिलता है और उनकी जगह दूसरे जनरल कास्ट्स के लोग भर लिये जाते हैं और शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग महरूम रह जाते हैं । मन्त्रालय इस प्रोर निश्चित पग उठाये और यह देखे कि शैड्यूल्ड कास्ट्स को प्रमोशन भीर भरती भ्रादि में नैगलैक्ट न किया जाय ।

रेलवे डिस्पेंसरी में एक ही डाक्टर होता है श्रौर जिससे कि मजदूरों को फिटनैस का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। जब वह 2394 (Ai) LSD—7.

उस डाक्टर के पास जाते हैं तो वह उनको तरह तरह से हैरेस करता है, कभी कहता है कि तुम्हारी निगाह कमजोर है, कभी सीना देखता है तो कह देता है कि सीना भ्राधो इंची कम है तो कभी कह देता है कि श्राधी इंची लम्बाई में कमी है भ्रीर उनको भ्रनिफट कर देता है ग्रीर इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाता है श्रीर लोगों को विवश होकर उसको घस देनी पड़ती है तब कहीं जाकर वह उनको फिट डिक्लेयर करता है। मैं श्रापसे निवेदन करना चाहता हं कि रेलवे के ग्रस्पताल के उस डाक्टर के भ्रलावा, रेलवे मुलाजिमों के लिए भ्रन्य डाक्टरों से, दूसरे सर्जनों से भी सर्टि-फिकेट लेने की छट होनी चाहिए श्रीर दूसरे डाक्टरों से भी सर्टिफिकेट फिटनैस का लेकर बह रेलवे में भरती हो सकें।

श्राखिर में मैं केवल एक बात कह कर अंठ जाऊंगा। लाखेरी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ठहरने के लिए जनरल बजट पर भी मैं बोल चुका हूं श्रीर श्राज फिर उसको दुहराना चाहता हूं कि वहां पर जनता गाड़ी जरूर ठहरनी चाहिए।

मन्त्री महोदय ने शटल ट्रेन चलाने का श्राश्वासन दिया है। मेरा निवेदन है कि एक शटल जनता गाड़ी कोटे से गंगापुर तक चला दी जाय ताकि १६ डाउन और २० श्रप में भीड़ कम हो जाय क्योंकि उसमें जयपुर की सवारिया बहुत वैठती है जोए सवाई माधोपुर उतरती हैं। मुझे श्राशा है कि मेरे इन चन्द सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री बसवन्त (थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन् के समक्ष रेलवे मंत्रालय को सप्ली-मैंटरी, वजट डिमांड्स के ऊपर बोलते हुए चंद एक सुझाव पेश करना चाहता हूं।

बम्बई देश का सब से बड़ा शहर है। बम्बई रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन ६ लाख के ऊपर ग्रादर्म, ग्राया जाया करते हैं। हिन्दुस्तान में हर रोज ६ लाख यार्त्र, किसी, स्टेशन

[श्री बसवन्त]

Demands

से यात्रा करते हों. मैं नहीं समझता कि कोई स्टेशन दूसरा ऐसा देश में है। मैं ब्राप को यह भी बतलाऊं कि इंडिया की पहली गाडी वहां पर सन् १८५३ में बम्बई से थाना ग्रौर थाना से कल्याण को चर्ल, र्थ, । इस कल्याण स्टेशन के लिए जोकि बम्बई स्टेशन के बाज में है उसके रिमीडलाइजेशन (ग्राधनिकरण) का जिक्र मैं ने कई बार कन्सलटेटिव कमेर्ट. में किया। मैं ने कई बार कहा है कि उसका रिमौडलाइजेञ्चन किया जाय ग्रौर होम प्लेट-फार्म ठीक से बनाया जाय : जनरल मैनेजर ने यह बात तो मान ली लेकिन वे कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास फड नहीं है कि हम यह रिमौडलाडजेशन का काम कम्पलीट कर सकें। वहां का जो पुराना स्टेशन है उसमें बिना टिकट यात्री चले जाते हैं ग्रौर निकल जाते हैं इसलिए इस रिमोडलाइजेशन के काम को मंत्रालय को बिना विलम्ब के ग्रपने हाय में लेना चाहिए।

मैं ग्राप को बतलाऊं कि बम्बई सेंट्रल रेलवे में १३० किलोमीटर का सैक्शन है जबकि वैस्टर्न रेलवे में सिर्फ ७० किलोमीटर का सुबरबन सैक्शन है। मेरा सुझाव यह है कि भ्राप बैस्टर्न रेलवे में भी सुबरबन सैक्शन बढायें भ्रौर उसको १२५ किलोमीटर तक बढ़ायें ताकि यातायात के लिए वह भी ठीक हो जाय । वैस्टर्न रेलवे के ७० किलोमीटर के सूबरबन सैक्शन में क़रीब ४० स्टेंझन पडते हैं लेकिन इन सत्तर किलोमीटर के ग्रागे विरार ग्रौर सफाला यह जो १२ किलोमीटर का फ़ासला है उस के बीच कोई स्टेशन नहीं है। इसलिए इस 9२ किलोमीटर के बीच कोई एक फ्लैंग स्टेशन होना चाहिए । इस स्टेशन के बनाने के लिए साठ साल से वहां की जनता की मांग है। जनरल मैनेरजर साहब ने वह बात मान भी ली कि यहां १२ किलोमीटर में ग्रागे के लिए एक फ्लैंग स्टेशन होना चाहिए लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह

कहा कि हमारे पास फंड नहीं है और जनता को इसके लिए श्रमदान करना चाहिए। मैंने जनरल मैनेजर साहब को खत लिखा । उन्होंने जबाब दिया कि ८५००० रुपये का जनता यदि श्रमदान करे तो हम यह फ्लैंग स्टेशन बना देंगे। ग्रब मैं जानता हं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ८४००० रुपये का श्रमदान होना सम्भव नहीं है भौर मेरे जिले के मकाबले में जो क्षेत्र ग्रधिक विकसित हैं वहां पर भी इतनी घनराशि का श्रमदान कही नहीं हम्रा है जिसका कि जिक्र वह कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि सरकार जनता की स्रावश्यकतास्रों को ध्यान में रखते हुए भ्रौर उन की कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए खद भ्रपनी श्रोर से पांच पोस्ट श्राफिस खोलती है श्रीर वह यह नहीं देखती है कि इसमें कितना उसका खर्चा होगा या कितनी भ्रामदनी होगी तो फिर इतने ग्रधिक रुपये की श्रमदान करने की मांग रेलवे की ग्रोर से हमसे क्यों की जा रही है ? जब ग्राप देखते हैं कि ७० किलोमीटर में सभी स्टेशन कुछ^रनफे से चलते हैं. मनाफ़े में चलते हैं तो ग्रागे के लिए इस १२ किलोमीटर के बीच में कोई फ्लैंग स्टेशन नहीं है और उस को खोलने के लिए हम वहां की जनता से ६५००० रुपये का श्रमदान करने की मांग करें यह कहां तक उचित व तर्कसंगत होगा ? एसी रेलवेज द्वारा मांग करना समाजवाद के ग्रनरूप बात-नहीं मालम पड़ती है। इस नीति का परिणाम तो यह होगा कि जो ग़रीब लोग हैं.^इडन को रेलवेज की सुविधा कर्भ: में: नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस बारे में कदम उठाए । जनरल-मैनेजर ने साठ साल पहले यह मान लिया था कि वहां पर यह फ्लैग-स्टेशन होना चाहिये । सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिये, ताकि वहां की जनता की कठिमाई दूर हो।

मैं हर दफ़ा फन्टियर मेल से ग्राया-जाया करता हूं। देखने में यह भ्राता है कि हमारे साथं जो कन्डंक्टर रहता है, उस की चौबीस घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। उस को कोई कम्पार्टमेंट एलाट कर दिया जाता है और जब वह रात के १०, ११ या १२ बजे कम्पार्टमेंट में ग्राता या जाता है, तो उस कम्पार्टमेंट के यात्रियों को भी तक्लीफ़ होती है और वहां पर कोई चोरी ग्रादि होने की जिम्मेदारी भी उस कन्डक्टर के ऊपर रहती है। इसलिए मेरा मुझाब है कि गाड़ी के लिए जो कन्डक्टर रखा जाता है, उसके लिए ग्रलग स्थान मुकरंर किया जाये, जिस से यात्रियों को भी कोई तक्लीफ़ न हो और चोरी ग्रादि के लिए उस को जिम्मे-दार भी न ठहराया जा सके।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिवादास-गांव से दिवापनवेल तक रेलवे लाइन की एलाटमेंट कर दी गई है और उस का काम भी शुरू कर दिया गया है। मैं उस का स्वागत करता हूं। मैं ने कुछ, समाचारपत्रों में यह पढ़ा है कि श्रप्रैंस से उस पर यातायात शुरू हो जायगा । किन्तु मेरा सुझाव है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में दिवापनवेल से ग्रागे गोग्रा ग्रीर बंगलीर तक जाने के लिए पचास मील रेलवे लाइन का एलाटमेंट करना जरूरो है। वह कोंकण के बैकवर्ड दैक्ट का एक पिछड़ा हमा भाग है। वहां पर यातायात बहत बढ़ गया है। बम्बई प्राविन्स में जितनी फैक्टरोज हैं, उन का साठवां हिस्सा बम्बई में है। बम्बई में ४८५ कारखाने हैं, जिन में ३०० से ४,००० तक लेबरर्ज काम करते हैं। लेबरफ्रं की संख्या इतनी बढ़ने से वहां पर दूसरी जाइन खोलने की जरूरत है। ग्रगर दिवा से दहान तक दूसरी लाइन बिछा दी जाये, तो बम्बई का डेवलपमेंट ठीक हो जायेगा ।

स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रोड ट्रांस्पोर्ट के लिए थाना कीक और भहेन्द्र कीक पर दो पुल बनाए जा रहे हैं। जिस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट प्रधिक यातायात को दृष्टि में रखते हुए दो रोडज बना रही है, उसी प्रकार रेलबे विभाग को भी दिवा से दहान

तक एक नई रेलवे लाइन का इन्तकाम करना चाहिए ।

ग्राप ने मुझे टाइम दिया, उस के लिए मैं ग्राप को घन्यवाद देता हूं।

श्री बड़े (खारगौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो से ज्यादा मिनट नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी के दो माननीय सदस्य बोल क्के हैं।

मेरे पास जो कम्पलेंट श्राई है, मैं उस को पढ़ कर सुनाता हूं:

"Latest selection for Insepector, Railway Protection Force, held by North Eastern Railway, men with condemned services have been selected. Services files be checked. But actually meritorious men not selected".

किसी व्यक्ति ने मेरे पास यह कम्प्लेंट भेजी है। यदि यह सच है, तो मिनिस्टर साहब इस बारे में कार्यवाही करें।

Mr. Deputy-Speaker: Please pass it on.

Dr. M. S. Aney: Who has made the complaint?

श्री बड़े : उन का नाम लेना ग्रन्थ्य नहीं है । मैं ग्रणे साहब को बाहर बता दुंगा।

रेलवं बजट पर जेनेस्ल हिस्कशन में मैंने मीटर गेज और ब्राडगेज के बारे में कहा था । मीटरगेज और ब्राडगेज का डिस्टिक्शन माननीय मंत्री के मन में नहीं होगा, लेकिन वास्तव में वह डिस्टिक्शन है । उस का कारण यह है कि यदि हम मीटरगेज और ब्राडगेज के स्केल्ज को देखें, तो विदित होगा कि मीटरगेज के स्केल नोचे हैं, हालांकि वहां के कमंचारिमों को ज्यादा ह्यूटी करनी इं पड़ती है न

4768

[श्री बड़े]

मेरो कांस्टीटयुएन्सी में खांडवा से धजमेर तक रेखवे है। उस में फ़र्स्ट क्लास में खिखा हुआ है, "शावर बाथ नाट वर्किना बिकाज दि रोजिज धार आउट आफ स्टाक"। इस कारण सब शावर बाथ बन्द हैं। अगर बाडगेज के फ़र्स्ट क्लास में ऐसी बात होती, तो चूंकि मिनिस्टर साहब वहां पर दौरा करते हैं, इसांलए झट यह बात पकड़ में आ जाती, लेकिन पहले मीटरगेज रेलवे स्टेट की थी और स्वतंत्रता-प्राप्त के बाद वह मध्य प्रदेश की हो गई है, इसलिए उधर किसी का लक्ष्य नहीं है।

Shri Shahnawaz Khan: Mr. Deputy-Speaker, a large number of hon. Members have taken part in this debate and in the very short time at my disposal I shall try to cover as many points as I can.

My hon. friend. Shri Vasudevan Nair, raised the question of classification of cities. He referred particularly to Cochin. I am sure he is fully aware of the recommendations of the Second Pay Commission this regard. At present Cochin is only a C class city where house rent allowance is payable only up to a salary of Rs. 150 with marginal adjustment up to Rs. 156.5 nP. For this purpose, Ernakulam, Mattanchery, Fort Cochin and Willington Island are treated as part of Cochin. According to the 1961 census, the population of Cochin is 2,36,000 odd. Therefore it is not qualified for any further upgradation under the existing criteria laid own by the Central He further Government. that there should be fresh thinking on reclassification of cities. This is a matter which concerns all the employees of the Government of India. So the Ministry of Finance, as the competent authority will take a final view in this matter.

He also referred to the recent Supreme Court decision regarding rules 148 and 149 of the State Railway Establishment Code The position is that orders have been issued for the reinstatement of all the employees who were parties to the appeal. We have also issued instructions that these rules are not to be applied for any new cases; that say, these rules been cancelled. Regarding the large number of cases dealt with under this rule in the past, we have made a reference to the Law Ministry seeking certain clarifications. It is quite likely that many of them might have attained the age of superannuation. Further, there are other problems like payment to them for the interim period, etc. So, all the important points have been referred t_0 the Ministry of Law for their advice. As soon as we are in a position to take action on their advice, we shall do so; there will be no avoidable delay.

Shri Vasudevan Nair: How long will it take according to the Minister, to come to a decision about it?

Shri Shahnawaz Khan: It all depends upon how quickly we obtain the advice of the Law Ministry. We will see that there is no avoidable delay.

My revered friend, Dr. Ram Manohar Lohia—he is not present here wants that third class should be the only class that should be retained in this country. The conditions prevailing here being what they are, there are certain people who can afford to pay more in order to travel with a little more of comforat, and we do not see any reason why they should be deprived of this facility. I believe there is no country in the world which has got only one class.

My hon. friend, Shri Himatsingka, wanted to have an Out-Agency at Gudia. We shall certainly take up that question if a suitable person is forthcoming. We will certainly exmine it. Then, he also drew our

attention to the fact that water was being wasted at many stations. We are grateful to him for this suggestion. We will try to effect economy and see that there is no wastage of water.

My. hon. friend, Shri A. P. Sharma, referred to the 'Charged Expenditure'. There is only one item in which there is the 'Charged Expenditure' of one Demand and that is for this increase of Rs. 1.51 lakhs under the 'Charged Expenditure' which is brought to the notice of Parliament though no specific vote is required. This represents unavoidable variation in payments made in satisfaction of court decrees the precise demands of which cannot always be foreseen.

Shri A. P. Sharma: 'Charged Expenditure' is in case of every item.

15.21 hrs.

[Mr. Speaker in the Chair]

Shri Shahnawaz Khan: I repeat that it is only one item. I refer you to the Supplementary Demands for Grants for 1963-64. Kindly look at the schedule in the opening page and you will find it.

Then, Mr. Sharma has a very wide experience of working of Railways and he has drawn our attention to the fact that these medical slips are collected back after the medicine is dispensed. I shall look into that. But Mr. Sharma has ample opportunities of meeting the Members of the Railway Board and the General Managers and if there is anything of such local importance, he can always take up this matter with the local authorities.

He also referred to the educational facilities. The position is that the total number of schools functioning on Railways is 715, and there are over a lakhs of pupils who are on the rolls of these schools. In addition, we are running even intermediate colleges; there is one college at

Tundla and another one at Mughalgross expenditure sarai. The running schools is Rs. 80,93,000 annually. It it not a small amount; as the hon. Member is 'Education' is a State resaware ponsibility, but where we find that the requisite facilities do not exist. we do not hesitate to provide the necessary facilities. We also give assistance to privately-managed schools. grant-in-aid to non-Railway schools during 1962-63 amounted to nearly Rs. 72,000.

1963-64

भी भ्रोंकार लाल बेरवा : ये फैंसिखि-टीज बड़ी बड़ी जगहों पर ही दी जाती हैं।

श्री शाहनवाज लां। छोटी छोटी जगहों पर भी जहां जरूरत होती है दी जाती हैं।

The Railways have also subsidised hostels where we admit the children of Railway employees on a subsidised basis.

Shri A. P. Sharma: I requested the Railway Ministry to say that the time has come when the whole educational policy of the Railways should be considered.

Shri Shahnawaz Khan: I am coming to that. As regards his suggestion that the time has come for the Railways to reorient the entire policy regarding the educational facilities for the Railway employees, I would like to reiterate that the primary job of the Railways is to run trains, to carry the traffic. 'Education' is a State subject and it is the responsibility of the States; we hope that the States will perform this duty and responsibility.

Shri Ranga (Chittoor): They run trains with such bad consequences.

Shri Shahnawaz Khan: Accidents will happen in spite of the best management. Accidents do take place even in the best run Railways in the world. It is very unfortunate.

4772

[Shri Shahnawaz Khan]

My hon friend, Shri Yashpal Singh, made some very useful suggestions and one of them was that the number of Railway staff quarters should be increased. Every year we are building something like 10,000 to 11,000 quarters for the Railway employees and that is a very important aspect of our welfare activities and we are doing it.

He talked about the office of the Government Inspector of Railways being at Simla. The office of the Chief Government Inspector of Railways has been shifted to Meerut from Simla. But that is the office of the Chief Government Inspector. There are regional inspectors who are posted at different places. One is posted at Lucknow, another at Bombay, another at Calcutta, another at Bangalore and; in this way are distributed to cover the entire Railway system.

He also wanted the Dehra Dun-Howrah Express train to stop at Chandak station. I know Chandak is a very important station. But the idea of running Express and Mail trains is that they should cover the distance quickly. If they stop at too many stations, then they cease to be Express or Mail trains. That possibly is the reason why it does not stop at Chandak.

Shri Yashpal Singh (Kairana): That is more important than Balawali.

Shri Shahnawaz Khan: The stoppage there is for some other reason.

Again, my hon, friend Shri Yashpal Singh wanted that the should not run electric trains and instead they should run trains on coal and diesel. That is a very good sugresort But gestion. we runelectrification. that is, where the electric trains, density of traffic is so heavy that no other form of traction can cope with it. We are using diesel traction and steam traction where they can cope with the traffic. He also wanted that we should take over the S.S. Light Railway. The S.S. Light Railway is a privately-owned Railway of Martin, Burn and Co... Their contract is renewed for a certain number of years. At the expiry of that, it is open to the Government of India either to renew the contract or not to renew it; then we decide whether it is to be renewed or it is not to be renewed. But I think that that Railway is still rendering a useful service and the people of the area would not like that Railway to be dismantled or closed down.

As for night duty allowance, it is given to persons who work continuously between the hours of 10 P.M. and 6 a.m.

The hon. Member's suggestion for having a shed at Roorkee for tongas and rickshaws and the provision of other amenities has been noted and we shall consider and do whatever is possible.

I am glad that my hon, friend, Shri P. Venkatasubbaiah, has agreed that the medical facilities provided by the railways are satisfactory. The fact is that we take pride in the fact that the medical facilities provided by the railways are second to none in this country, and we shall go on trying to make it as perfect as possible. The hon. Member felt sorry that a good doctor from Guntakal had been transferred, but that was because we wanted to give the people at other places also the advantage of his goodness.

Some hon, Members have said that the employees should not be transferred in such a manner that the education of their children would suffer. I would submit that that is the policy that we are following. But, sometimes, when there is a vacancy caused due to certain unavoidable circumstances, it becomes inevitable for such

transfers to be made; it is only in such cases that we make such transfers.

My hon, friend also referred to the need for the creation of a new zone. I shall not repeat what my senior colleague the Railway Minister has stated already on this subject,

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): It had been stated that no new zones were being created because of the emergency. After the emergency when we are talking of defence and development, and when we are thinking of intensive development, may I know why in the name of emergency the formation of a new zone should be stopped?

Shri Shahnawaz Khan: The only criterion for having more zones is operational efficiency. A new zone is created only where we find that the existing zones are not able to cope with the traffic satisfactorily and when the workload has increased so much that a new zone is necessary.

An Hon. Member: But the work-load has increased so much.

Shri Shahnawaz Khan: I might add that there are other ways of reducing the workload than creating new zones. It is only a last resort when all other methods fail that we start creating a new zone.

Shri Ranga: Was it not a fact that just before this recent change had taken place in the ministerial set-up, almost a decision had been taken in regard to the creation of a new zone, and even in regard to the decision that had been taken earlier to have a zone at Gorakhpur, first they said that it was a final division but when pressure came from Calcutta they created a new zone?

Shri Bade: The train has got reversed.

Shri Shahnawaz Khan: I deny . . .

Shri Ranga: What is it that my hon. friend is denying? He cannot deny facts.

1963-64

Shri Shahnawaz Khan: We deny his allegation that we ever created a new zone under any pressure.

Shri Ranga: Of course, they did. What about the latest one?

Shri Shahnawaz Khan: The only pressure to which we submit in the railways is the pressure of traffic.

Shri Ranga: And accidents.

Shri Shahnawaz Khan: And where the traffic is such that a new zone should be created, we do so.

Shri Ranga: My hon, friend is only inviting more and more accidents.

Shri A. P. Sharma: May I know what the Deputy Minister has to say about the recommendation of the Kunzru Committee who have also stated that the workload has increased so much in the Northern, Southern and Central Railways that it is unmanageable?

Shri Shahnawaz Khan: The Ministry is constantly on the watch; we are on the alert the whole time.

Shri Ranga: That is why more accidents!

We Shri Shahnawaz Khan. watching the traffic trends in country. We are continuously watching the density of traffic, how the employees are affected, what is workload and how it can be adjusted and so on. The traffic keeps on fluctuating, and when it is necessary to do so in the interest of operational efficiency, new zones are created. Just because we are studying certain problems, it should not be taken that we have taken any firm decision. When a decision is taken, it will be made public.

4776 Grants (Railways) 1963-64

Shrimati Lakshmikanthamma: the past, the Railway Board Chairman and the Accidents Inquiry Committee have all felt that there should be more zones, even to the extent of 14 zones. When this expert opinion is there, what prevents Government from giving effect to it?

Shri Shahnawaz Khan: It is very likely that in future we shall have more zones. When the density of traffic and the workload increase, course more zones might come.

Shri R. S. Pandey (Guna): In connection with the decision to more zones from 8 to 12, I want to know whether a decision was taken about Bilaspur or Raipur.

Shri Shahnawaz Khan: No such decision was taken, for a zone there.

Shri R. S. Pandey: Not zone, but having the headquarters either Bilaspur or Raipur.

Shri Shahnawaz Khan: As I said we are watching traffic trends all over the country. But no firm decision has been taken.

Shri Ranga: You will go watching.

Shri Shahnawaz Khan: I am grateful to Shri Trivedi for making a useful suggestion that the enquiry clerks working in a place should know the local language. That is obvious. If there is any such case such as he has quoted, we will look into it.

Shri Bade: What about pay scales?

Shri Shahnawaz Khan: Dr. Mahadeva Prasad said that the medical certificates issued by the medical officers and other registered practitioners should be accepted. This used to be the practice some time ago, but we were constained to change it because certain malpractices had crept in. People were going to other doctors and obtaining certificates when railway doctors were available. Quite frankly, we started doubting

authenticity of sickness and the certificate.

Shri Hari Vishnu Kamath: Malingering.

Shri Shahnawaz Khan:

Shri Bade: What about the suggestion made by Shri Trivedi . . .

Mr. Speaker: He is not giving in.

Shri Bade: It is about disparity in the pay scales. Is there a 'broad gauge' and 'metre gauge' there also?

Shri Shahnawaz Khan: They are all railway employees and they get similar treatment.

Dr. Aney felt that the speed trains on the Khandwa-Hingoli was too slow. It is a new line; it takes time for the line to settle down and if we go too fast, there might be derailments.

श्री बड़े : मिनिस्टर महोदय के ध्यान में होगा कि उन से पालियामेंट में एक सवाल पूछा गया था कि मीटर गेज के जितने वर्कर्स हैं, चाहे स्टेशन मास्टर हों चाहे कोई श्रीर हों, उन को बहत थोडा रुपया मिलता है। वे २७० रु० तक जाते हैं जबकि बाड गेज के लोग ३७० या ४७० रु० तक जाते हैं। छोटी लाइन के लोग ज्यादा काम करते हैं, ये लोग २६ चक्कर लगाते हैं जबकि बाड गेज वाले १३ चक्कर लगाते हैं. तब भी क्या मीटर गेज श्रीर बाड गेज के बारे में श्राप के मन में फर्क है।

श्री शाहनवाज खां: मेरे मन में कौई फर्क नहीं है। वह सारे रेलवे एम्प्लायीज हैं ग्रीर सब के साथ एक सा सलक किया जाता है।

Shri Ganapati Ram wanted to have a shed at Jaunpur station. We shall look into that. There is the Passenger Amenities Committee which looks into these things, we shall bring it to their notice. He also wanted that Kachgaon should be made a halt station. That also we shall look into.

He felt that other people were taking away the places reserved for Scheduled Castes. That is not so. Vacancies for Scheduled Castes are reserved, and only Scheduled Castes people are taken in. We carry on with these vacancies for a year, but only when we find that in certain technical categories suitable candidates are not forthcoming, others are taken in.

श्री स्रोंकार लाल बेरवा : प्रोमोशन नहीं दिया जाता, उन को जान बूझ कर छोड़ दिया जाता है।

श्री शाहनवाज खां : जान बूझ कर नहीं छोड़ा जाता ।

Shri Anjanappa (Nellore): May I know the criteria before the Railway Ministry for the selection of candidates?

Mr. Speaker: Two days age we had all the discussion on the Railway Budget.

Shri Ranga: They could not then raise these local points.

Mr. Speaker: Criteria and others are not local points.

Shri Shahnawaz Khan: If there are any cases where hon. Members feel aggrieved, or feel that justice has not been done to any employee. I request them to bring such specific cases to our notice, we shall look into them.

एक माननीय सदस्य : ग्राप के पास लाते हैं तो ग्राप भी नहीं सुनते ।

श्री मोंकार लाल बेरवा : भ्राप नीचे वालों की रिपोर्ट पर चलते हैं। ग्रध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह तो नहीं कि जो केस वह लाएं वह उसी तरह हो जाय जैसा कि वह चाहते हैं।

श्री शाहनवाज कां : मैं श्रापके यकोन दिलाता हूं कि जो भी केस कोई श्रानरेबिल मेम्बर हमें देता है उस पर पूरा छानबीन की जातो है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि ...

श्री बड़ें: कम से कम हरिजनों की बात तो सुनिए।

श्री भ्रोंकार लाल बरवा : श्राप उन्हीं लोगों की रिपोर्ट पर ध्यान देते हैं जो एन-क्वायरी करते हैं।

श्री शाहनवाज खां: जो केस श्राता है उस की मिनिस्टर श्रीर रेलवे बोर्ड के मैम्बर पूरी छानबीन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि नीचे भेज दिया श्रीर जो उन्हों ने फैसला किया उसी को कबूल कर लिया। ऐसा नहीं है।

श्री विश्वाम प्रसाव : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि संविधान में जो हरिजनों के लिए रिजरवेशन रखा गया है उसकी तरफ रेलवे मंत्रालय ने क्या कदम उठाए और कहां तक वह परसेंटेज पूरा हो सका है। सिर्फ यही बता दीजिए ।

श्री शाहनवाज खां : वे श्रांकड़े तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं । श्रगर श्रानरेबिल मेम्बर मुझ से लिख कर पूछेंगे तो मैं उनको श्रांकड़े दे दूंगा । लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शिडयूल्ड कास्ट वालों की रिकस्टमेंट के लिए रेलवे मंत्रालय ने जितना किया और किसी मंत्रालय ने उतना नहीं किया ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : श्रीमन, केवल प्रतिशत बता दें।

बाष्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इस वक्त श्रांकड़े मेरे पास नहीं हैं । क्या मैं जबर-दस्ती उन से ग्रांकड़े निकलवाऊं?

4780 Grants (Railways) 1963-64

श्री ज्ञाहनवाज लां श्री श्रोंकार लाल बेरवा जी ने कहा कि एयर कंडीशन्ड गाड़ियां एबालिश कर दी जायें। पहली बात तो यह सही नहीं है कि सारी एयर कंड शन्ड गाडियां नकसान में जा रही हैं। यह सहा है कि उन का किराया ऊंचा है और काफी हवाई अहाज भी चल रहे हैं। ग्रीर दोनों का किराया बराबर है, लेकिन इसके बावजद . . .

श्री बड़े: वे फायदे में नहीं जा रही हैं।

प्रध्यक्ष महोदय : उन को ज्यादा मालूम है या आप को ज्यादा मालूम है ?

श्री बड़े: किताब में ऐसा लिखा है।

मध्यक्ष महोदय : लिखा रहने दीजिए ।

श्री शाहनवाज लां: मैं ग्रर्ज कर रहा था कि बावजद इसके कि एयर कंडीशन्ड दरजे कः कः कियाया अंचा है और उसमें चलने से वक्त भी ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी एयर कंडीशन्ड गाडियों में मसाफिरों को जगह रही फिल्की ।

एक माननीय सबस्य : झटका नहीं मिलता ।

श्री शाहनवाज लां : हमारी सिक्युलर स्टेट है, हम झटके वगैरह का इन्तिजाम नहीं करते ।

श्री श्रोंकार लाल बेरवा: इस का भी इन्तिजाम होना चाहिए क्योंकि इसके बगैर सरदार लोग भूखे जाते हैं। जैंसे हलाल वालों के लिए इन्तिजाम होता है वैसे ही झटके वालों के लिए भी होना चाहिये।

एक माननीय सबस्य : सरदार लोग बहुत मोट होते हैं।

मध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह जो जोमांस नहीं खाते फिर भी मोट हैं।

भी शाहनवास लां: भृत बंगले के बारे में मानरेबिल मेम्बर को कोई शिकायत नहीं होनी पाहिये । उसमें रेलवे के एम्पलाईज के बच्चे पढते हैं स्प्रीर उनको फायदा हो रहा है।

श्री श्रोंकार लाल बेरवा : उसको खाली करवालियागया है।

ग्राध्यक्ष महोवय : यह क्या हो रहा है। उन को बोलने दी। जए। ग्रगर कोई इस प्रोसीडिंग को देखेगातो क्या खयाल करेगा।

श्री शाहनवाच खां : माननीय सदस्य श्री बड़े ने कहा कि आर० पी० एफ० के इंस्पैक्टरों की नियक्ति के बारे में पक्षपात से काम लिया जा रहा है और शायद उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अगर उनके पास कोई ऐसा कैस हो तो मेरे पास भेज दें, मैं उसकी छान बान करूंगा और देखंगा कि किसी के साथ बेइन्साफं(न हो । लेकिन मैं बडे ब्रादर के साय .

भी बड़े : स्पीकर साहब

ग्रध्यक्ष महोदय: ग्राप बैठ जाइए । वह खत्म कर लेंगे तो मैं ग्राप को मौका द दंगा।

ः श्र**ी शास्त्रनवास सां**: रेलवे विभाग में किस को विकटिमाइज नहीं किया जाता। लेकिन ग्रगर रेलवे एम्पलाईज रेलवे प्रशासन के पास भावें तो ज्यादा भ्रच्छा रहेगा भ्रौर काम भी श्रन्छी तरह हो सकैशा। कभी कभी देखने में स्नाता है कि जब रेलवे एम्पलाईज कोई ऐसा काम कराना चाहते हैं जोकि नहीं हो सकता तो वह लोग एम्पीज के पास जाते हैं। इससे रेलवे का डिसिप्लिन बिगडता है। मैं उम्मीद करता हं कि पालियामेंट के मेम्बर साहिबान रेलवे को डिसिप्लिन कायम रखने में मदद करेंगे और जो लोग उनके पास ग्राते हैं उनसे कहेंगे कि रेखवे प्रशासन के पास**ं**जा कर शिकायत करो।

4781 Demo

for Supplementary Grants (Railways) 1963-64

्रभी **बड़**े: भ्राप डिसिप्लिन **मे** लिए

कहते हो

मध्यक्ष महोदय : यहां भ्राप कितना डिसिप्लिन दिखा रहे हैं ।

श्री बड़ें: कहा गया कि रेलवे के कर्म-चारी हमारे पास आते हैं तो रेलवे का डिस-प्लिन खत्म हो जाता है, और हम से कहा गया है कि हम डिसिप्लिन कायम रखने में सहयोग करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारी हमारे पास तभी आते हैं जब वे सब तरफ से निराश हो जाते हैं। क्या उन के कहने का मतलब यह है कि प्रजातंत्र राज में किसी कर्मचारों को एम्पो० के पास न अपना आहिए।

मध्यक्ष महोदय : उन्होंने ते। भ्राप से भ्रयोल की है ।

Shri Shahnawas Khan: With these few remarks, I once again say that I am grateful to the hon. Members who have taken part in this debate.

Mr. Speaker: There are no cut motions. I shall put the question.

The question is:

That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demands Nos. 4 to 10, 12, 15, 16 and 18."

The motion was adopted.

13.50 hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS) NC. 2 BLL*. 1964

The Deputy Minister in the Ministy of Railways (Shri Shahnawaz knan): On behalf of Shri Dasappa, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1963-64 for the purposes of Railways.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1963-64 for the purposes of Railways."

The motion was adopted.

Shri Shahnawaz Khan: I introduce† the Bill.

Shri Shahnawaz Khan: On behalf of Shri Dasappa, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and cut of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1963-64 for the purpose of Railways, be taken into consideration."

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1963-64 for the purpose of Railways, be taken into consideration."

^{*}Published in Gazette of India—Extraordinary, Part II, Section 2, Dated 10-3-1964.

f.Introduced/moved with the recommendation of the President.